वन्यजीव अपराध जांच

(वन्यजीव अपराध जांच अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक पुस्तिका)

2017

प्रथम संस्करण

वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार

वन्यजीव अपराध जांच

(वन्यजीव अपराध जांच अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक पुस्तिका)

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार

2017

प्रथम संस्करण

अनिल माधव दवे
Anil Madhav Dave

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

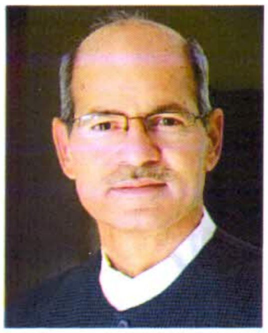

प्रस्तावना

भारत दुनिया के सबसे बड़े जैवविविधताओं वाले देशों में से एक है। यद्यपि, अगर इसे अवैध शिकार तथा सुनियोजित वैश्विक व्यापार के तनाव के अधीन अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो इसके दुष्परिणाम से जल्द ही कई प्रजातियों का अंत विलुप्तता के साथ होगा। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 देश का एकमात्र एकछत्र अधिनियम है जो कि वन्यजीव अपराध के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि यह अपने आप में पूर्ण प्रक्रियायुक्त संहिता नहीं है अत: भारत के विभन्न प्रदेशों में वन्यजीव अपराध जांच से संबंधित मामलों की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया में विविधता बनी रहती है जिसकी वजह से अक्सर कानूनी और परिचालन संबंधित जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। अत: संहिताबद्ध एवं सरल एकीकृत प्रक्रियायुक्त पुस्तक, वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए सहायक होगी तथा यह समय की मांग भी है।

मैं इस बात से खुश हूं कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने सुधार के लिए इन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान कर वन्यजीव अपराध जांच से जुड़े अधिकारियों के लिए पुस्तिका के रूप में इसे सरल ढंग से प्रकाशित किया है जो कि मददगार साबित होगी। यह अदालतों द्वारा वन्यजीव अपराध को बेहतर तरीकों से समझने तथा न्यायोचित दंड दिलाने की प्रक्रिया की वृद्धि में भी अहम भूमिका निभाएगी।

(अनिल माधव दवे)

Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Tel.: 011-24695136, 24695132, Fax : 011-24695329

अजय नारायण झा
AJAY NARAYAN JHA, IAS

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Secretary
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

भारत में वन्यजीव के संरक्षण तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अहम भूमिका निभाता है परंतु कार्यविधि की यह एक संपूर्ण संहिता नहीं हैं अतः अक्सर विधिक तथा प्रचलनात्मक समस्याएं आती हैं।

इसी विसंगति को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने प्रचलित प्रणालियों को एकीकृत कर इस जांच पुस्तिका का प्रकाशन किया है। जो कि एक सराहनीय कदम है।

आशा करता हूं इस पुस्तिका से जांच से जुड़े अधिकारियों को वन्यजीव अपराध से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने एवं न्यायालयों को वन्यजीव अपराध मामलों का बेहतर मूल्यांकन करने में भी मदद मिलेगी ।

(अजय नारायण झा)

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011) 24695262, 24695265, फैक्स : (011) 24695270

INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003 Ph. : (011) 24695262, 2465265, Fax : (011) 24695270
E-mail : secy-moef@nic.in, ajay.jha@nic.in, Website : moef.gov.in

तिलोत्तमा वर्मा भा.पु.से.
अतिरिक्त निदेशक

TILOTAMA VARMA IPS
Additional Director

भारत सरकार
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
Government of India
सत्यमेव जयते Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Wildlife Crime Control Bureau

प्रस्तावना

वन्यजीव अपराध जांच पद्धति विज्ञान यद्यपि निरंतर विकासशील है, परन्तु इस क्षेत्र में उत्तम एवं गुणवत्तापरक पुस्तकों /संदर्भसामग्री के विद्यमान अभाव के फलस्वरूप वन्यजीव अपराधों की प्रभावी व वैज्ञानिक जांच/विवेचना में जांच अधिकारियों की सहायतार्थ तथा उनकी जांच क्षमता बेहतर किए जाने हेतु राज्यवन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न अनुरोध एवं परिलक्षित आवश्यकताओं के दृष्टिगत, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्लू.सी.सी.बी) द्वारा वन्यजीव अपराधों की वृतिक जांच में विभिन्न एजेंसियों के जांच अधिकारियों की सहायता हेतु इस पुस्तिका के माध्यम से मार्गदर्शन करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

वन्यजीव अपराधों की जांच में राज्यों की पुलिस व वन विभागों द्वारा पालन की जाने वाली पद्धतियों व कार्यविधियों के मानकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए यह मार्गदर्शिका संकलित कर इस अपेक्षा के साथ प्रकाशित की जा रही है कि प्रस्तुत संकलन का प्रयोग वन्यजीव अपराधों के प्रभावी प्रतिकार एवं जांच/विवेचना हेतु पद्धति व कार्यविधि में एकरूपता, जांच की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करते हुए न्यायालयों में साक्ष्यों के बेहतर प्रस्तुतिकरण में किया जायगा।

(तिलोत्तमा वर्मा)

Trikoot -1, IInd Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 , **Tel:** 26182484, **Fax:** 26160751
E-Mail: addldir-wccb@gov.in, **Website:** wccb.gov.in

विषय सूची

क्रम सं. **प्रस्तावना**

1.	अध्याय 1	:	वन्यजीव अपराध की अवधारणा
2.	अध्याय 2	:	आसूचना का एकत्रण
3.	अध्याय 3	:	मामलों का पंजीकरण
4.	अध्याय 4	:	तलाशी और जब्ती
5.	अध्याय 5	:	गिरफ्तारी
6.	अध्याय 6	:	जांच और शिकायत
7.	अध्याय 7	:	अपराधों का प्रशमन
8.	अध्याय 8	:	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन विशेष उपबंध
9.	अध्याय 9	:	न्यायालयों में मामलों का अभियोजन
10.	अध्याय 10	:	पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका
11.	अध्याय 11	:	विचारण उपरांत कार्यवाही

अनुलग्नक

1.	अनुलग्नक-I	स्रोत रजिस्टर
2.	अनुलग्नक-II	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालयों की सूची
3.	अनुलग्नक-III	वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर)
4.	अनुलग्नक-IV	मॉडल तलाशी और जब्ती ज्ञापन
5.	अनुलग्नक-V	गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन
6.	अनुलग्नक-VI	वन्यजीव अपराधी की वैयक्तिक फाइल (डोसियर)
7.	अनुलग्नक-VII	अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देश
8.	अनुलग्नक-VIII	वन्यजीव अपराध जांच किट
9.	अनुलग्नक-VIIIक	वन्यजीव अपराध घटना स्थल जांच के मूल तत्व
10.	अनुलग्नक-IX	वन्यजीव अपराधों में विशेषज्ञ की राय के लिए वैज्ञानिक संस्थानों की सूची
11.	अनुलग्नक-X	न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला/संस्थान के लिए अग्रेषण टिप्पणी
12.	अनुलग्नक-XI	वन्यजीव अपराध में शिकायत
13.	अनुलग्नक-XII	वन्यजीव अपराध जांच प्रक्रिया पर प्रवाह चार्ट
14.	अनुलग्नक-XIII	न्यायालय डायरी
15.	अनुलग्नक-XIV	वन्यजीव अपराध मामलों में महत्वूपर्ण निर्णय
16.	अनुलग्नक-XV	मामला डायरी
17.	अनुलग्नक-XVI	इतिवृत्त
18.	अनुलग्नक-XVII	सूचना प्रपत्र

अध्याय -1
वन्यजीव अपराध की अवधारणा

1.1 'वन्य जीव' (दो शब्दों में लिखा गया) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध अमेरिकी जंतु विज्ञानी विलियम टेंपल होर्नाडे द्वारा 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अवर वेनिशिंग वाईल्ड लाईफ (इट्स एक्सटर्मिनेशन एंड प्रीजर्वेशन) में किया गया था। केवल 1930 के दशक में जब इसे 'वन्यजीव' (वाइल्डलाइफ) एक एकल शब्द के रूप में लिखा गया, यह व्यापक रूप से प्रयोग में आया। वन्यजीव से तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृत वन्य जीवजंतु एवं वनस्पति। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2(37) के परिभाषा अनुसार ``वन्यजीव`` के अंतर्गत वे सभी प्राणी, जलीय या स्थलीय वनस्पति जो किसी प्राकृतिक पर्यावास का एक भाग है, शामिल है।

1.2 वन्यजीव का महत्व संवैधानिक अधिदेश के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। पर्यावरण का (संरक्षण) और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों (अनुच्छेद 48क) में शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 51 क(छ) कहता है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। पशुओं, वनों और जंगली पशुओं और पक्षियों के (संरक्षण) प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधाना के अनुच्छेद 246 के अधीन समवर्ती सूची (सूची-III) अनुसूची सात में दी गई है।

1.3 वन्यजीव अपराध को किन्हीं अंतराराष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय कानून (कानूनों) के उल्लंघन में जंगली पशुओं और पादपों अथवा उनके व्युत्पन्नों के लेने, कब्जें, व्यापार अथवा संचालन, संसाधन करने, उपभोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जंगली पशुओं, स्वतंत्र रहने वाले और बंदी दोनों के प्रति क्रूरता करना और उनके उत्पीड़न को भी कभी कभी इस परिभाषा में जोड़ा जाता है। यद्यपि जंगली पशु और पादप सर्वप्रथम किसी वन्यजीव अपराध के पीड़ित हैं, इसका विशेष देश अथवा क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संवैधानिक अधिदेश से यह स्पष्ट है कि वन्यजीव हमारी राष्ट्रीय पूंजी हैं। इस प्रकार देश को भी वन्यजीव अपराधों से हानि होती है। चूंकि अवैध व्यापार वन्यजीव व्यापार में धन की विशाल राशि शामिल होती है, इसे एक गंभीर आर्थिक अपराध के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

1.4 शिकार करना और अवैध व्यापार प्रमुख वन्यजीव अपराध हैं तैयारी, कब्जा, परिवहन, संसाधन आदि जैसे अन्य सभी अपराध सहायक अपराध हैं। ऐसा होने के कारण, वन्यजीव अपराधियों को दो समूहों के अंदर विभाजित किया जा सकता है (क) आखेटक अथवा शिकारी जो जंगली पशुओं को मारते अथवा पकड़ते हैं अथवा जंगली पादपों को एकत्र करते हैं और (ख) अपने स्वयं के उपभोग अथवा व्यापार के लिए शिकार किए गए अथवा पकड़े गए पशुओं अथवा उनके शरीर के अंगों अथवा व्युत्पन्नों अथवा एकत्र किए गए पादपों अथवा उनके भागों अथवा व्युत्पन्नों को खरीदने वाले व्यक्ति। वन्यजीव सामग्रियों के व्यापारी वन्यजीव अपराधियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह का निर्माण करते हैं और वे अत्यधिक संगठित तरीके से कार्य करते हैं। ऐसे संगठित वन्यजीव अपराधियों के नेटवर्क पूरे विश्व में विद्यमान हैं और वे इन अपराधों से अधिकतम वाणिज्यिक लाभ कमाते हैं।

1.5 अनाधिकार शिकार को अक्सर हिंसा के विभिन्न स्तरों के साथ संबंधित किया जाता है। हाथी दांत, गैंडे के सींग आदि के लिए चोरी से शिकार करना पारंपरिक रूप से हथियारों के भारी प्रयोग पर आधारित हैं जिसके परिणामस्वरूप मानव का खून भी बहाया जा सकता है। जबकि, अन्य प्रजातियों जैसे सापों, आर्किडों, कछुओं आदि का चोरी से शिकार करना उच्च-मूल्य प्रजातियों की पहचान के लिए तकनीकी कौशलों पर अधिक निर्भर करता है। भारतीय संदर्भ में, चोरी से शिकार करने वाले व्यक्ति अक्सर कमजोर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों द्वारा ऐसा करने के लिए विवश होते हैं।

1.6 वन्यजीव अपराध अक्सर हत्या, चोरी, नशीले पदार्थों आदि जैसे अन्य प्रकार के अपराधों से अंत: संबद्ध होते हैं। परंतु निम्न पहलुओं की दृष्टि से भिन्न होते हैं:

(i) वन्यजीव अपराध स्थान विशेष से जुड़े होते हैं। वन्यजीव अपराध करने के लिए, अपराधी को अनिवार्य रूप से उस स्थान पर जाना पड़ता है जहां लक्षित वन्यजीव उपलब्ध होता है।

(ii) जिन कार्यों को अब वन्यजीव अपराधों के रूप में माना जाता है वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के लागू होने तक अपराधिक कार्य नहीं थे। शिकार करना, जो वन्यजीव अपराधों की सूची के शीर्ष पर होता है, किसी समय बहादुरी और राजाओं के मनोरंजन का एक कार्य था। महान शिकारी अपने समय के नायक समझे जाते थे।

(iii) सामान्य जनता बहुधा वन्यजीव अपराधों द्वारा प्रभावित अथवा बाधित नहीं होती है। पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, चोरी या डकैती, प्रत्येक घटना आम लोगों के मस्तिष्क में भय का एक भाव भर देती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधिक कार्यों का शिकार हो सकता है और बहुधा लोग ऐसी गतिविधियों के बारे में सरोकार रखते है और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए योगदान करते हैं। वन्यजीव अपराधों के मामले में ऐसा नहीं होता है।

1.7 नशीले पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वन्यजीव अपराधों को 2003 में राष्ट्रपारीय संगठित अपराधों (टीओसी) की सूची में शामिल किया। यूएनओडीसी द्वारा परिभाषित अनुसार "राष्ट्र पारीय संगठित अपराध वित्तीय अथवा भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक अथवा अधिक गंभीर अपराध करने के उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करने वाला, तीन अथवा अधिक व्यक्तियों का बनाया गया एक समूह है और ये अपराध एक से अधिक देश में नियोजित होते और अथवा किए जाते है।" एक गंभीर अपराध के लिए कम से कम 4 वर्ष अथवा अधिक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। इसलिए, अधिकतर वन्यजीव अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

1.8 वन्यजीवों के अवैध व्यापार को कौन प्रेरित करता है?

अवैध वन्यजीव व्यापार मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा कमाए जाने वाले भारी लाभों से प्रेरित होता है। कम जोखिम और कम दंड इस व्यापार को अत्यधिक आकर्षक बनाते हैं। अन्य पारंपरिक अपराधों से अलग, जो वन्यजीव अपराध करते हैं उन अपराधियों के साथ कोई कलंक नहीं जुड़ा होता है। एशिया, यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व बाजार वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रेरित करने वाली शक्ति हैं। पशुओं के अंगों

(हाथी दांत, बाघ के दांत/हड्डियों) से बने आभूषणों के लिए ललक, पारंपरिक औषधियों में जानवरों के शरीर के अंगों अथवा पादपों को प्रयोग, शान के लिए खालों या सीगों या हिरन के सीगों को रखना, सांस्कृतिक विश्वास अथवा यहां तक कि अंधविश्वास वन्यजीवों और उनके अंगो एवं उत्पादों के अवैध व्यापार को बढ़ावा देने वाले अन्य घटक हैं।

1.9 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्यजीव अपराध प्रवर्तन के लिए देश में संरक्षण कानून है। वन्यजीव अपराधों के संबंध में राज्य के वन और पुलिस विभाग प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियां हैं। संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी वन्यजीव अपराधों की जांच की जाती है। डब्ल्यूसीसीबी भी जांच के लिए सीमापारीय उपशाखाओं के साथ चुनिंदा वन्यजीव अपराधों को देखता है। एक्सिम पॉलिसी के अधीन वन्यजीव वस्तुओं/व्युत्पन्नों का आयात अथवा निर्यात या तो सीमित है अथवा प्रतिबंधित है। इसलिए, सीमा शुल्क विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय (डीआरआई) निकास बिंदुओं पर वन्यजीव अपराधों को पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तस्करी की रोकथाम के अधिदेश के साथ सीमा की रक्षा करने वाली एजेंसियां और विमानपत्तनों पर तैनात सीआईएसएफ वन्यजीव तस्करी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीआरपी, आरपीएफ और डाक प्राधिकारी भी रेल और डाक से, विशेषकर डाक पार्सलों के माध्यम से, तस्करी मुकाबला करने में भूमिका निभाते हैं।

अध्याय 2
आसूचना का एकत्रण

2.1 आसूचना आपराधिक गतिविधि का पूर्वानुमान लगाने, रोकने अथवा मॉनीटर करने के प्रयास में, एकत्रित, और प्रसारित सूचना होती है। चोरी से शिकार करने (मुख्यत: मांस के लिए) की छिट-पुट घटनाओं से लेकर वन्यजीव अपराध अब अंतरराष्ट्रीय शाखाओं वाली संगठित आपराधिक गतिविधि में विकसित हो गए हैं। ऐसे संगठित आपराधिक नेटवर्कों और उनकी गतिविधियों के बारे में सूचना का एकत्रण और वास्तविक समय के आधार पर ऐसी सूचना का परितुलन प्रभावकारी ढंग से वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए समय की आवश्यकता बन गया है।

2.2 वन्यजीव अपराध आम तौर पर जनसाधारण को प्रभावित नहीं करते हैं और इसलिए सामान्यत: जनता वन्यजीव अपराधियों के बारे में स्वैच्छिक रूप से सूचना प्रदान करने के लिए आगे नहीं आती है। इसीलिए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अपराधियों के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाना पड़ता है। अत: यह अनिवार्य है कि विश्वसनीय मुखबिरों/स्रोतों के एक समूह तैयार किया जाए। वन/वन्यजीव और पुलिस अधिकारी, जो स्थानीय लोगों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं अच्छे स्रोतों की पहचान कर सकते हैं और अनुलग्नक-1 में दिए गए फार्मेट में ऐसे व्यक्तियों का एक रिकार्ड रख सकते हैं। इन स्रोतों को अपने संबंध बनाए रखने के लिए अक्सर नकद प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य की सीआईसी और आसूचना ब्यूरो (आईबी) देश में व्यापक रूप से मौजूद है। इन एजेंसियों के फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए नियमित बैठकें होनी चाहिए।

2.3 स्रोतों के विवरण संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में गोपनीय रूप से जाने चाहिए। स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के समय पर पदधारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अपने उत्तराधिकारी को स्रोत रिकार्ड सौंपने चाहिएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह दोनों तरफ मिला नहीं है स्रोतों की गतिविधियों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करनी चाहिए। निष्क्रिय स्रोतों अथवा कम रूचि दिखाने वाले स्रोतों को आवधिक रूप से हटा देना चाहिए।

2.4 विचारण सहित किसी भी विधिक कार्यवाही में स्रोतों के विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 और 125 में न्यायिक विचारण में भी मुखाबिर की पहचान के (संरक्षण) के लिए प्रावधान है। स्रोतों और मुखाबिरों की पहचान केवल उनको तैनात करने वाले अधिकारी को ज्ञात होनी चाहिए।

2.5 स्रोतों अथवा मुखबिरों को जांच के दौरान गिरफ्तारी, जब्ती अथवा अन्य किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के लिए गवाह नहीं बनाया जाना चाहिए।

2.6 यदि क्षेत्राधिकार न होने के कारण अथवा एक से अधिक राज्य अथवा देश में प्रचालन करने वाले अपराधी के शामिल होने के कारण स्रोत से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो उसे डब्ल्यूसीसीबी ब्यूरो स्थित के मुख्यालय, नई दिल्ली अथवा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और जबलपुर में उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया जाए। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालयों के संपर्क विवरण अनुलग्नक-2 में दिए गए हैं।

अध्याय-3

मामलों का पंजीकरण

3.1 पारंपरिक अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में मामले के पंजीकृत होने के साथ जांच आरंभ होती है। भौतिक साक्ष्य (चुराई गई संपत्ति, हथियार, वाहन आदि) की वसूली मामले के पंजीकृत होने के उपरांत ही होती है। तथापि, वन्यजीव अपराध के मामलों में, वन्यजीव/वन्यजीव वस्तु की जब्ती अथवा अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी मामले के पंजीकरण से पहले हो सकती है। दूसरे शब्दों में, वन्यजीव अपराधों में, जब्ती अथवा गिरफ्तारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकारिता वाले न्यायालय में जब्ती/गिरफ्तारी रिपोर्ट अथवा अपराध रिपोर्ट के दर्ज करने के साथ जांच आरंभ हो सकती है। विभिन्न राज्यों में यह रिपोर्ट अलग-अलग नामों से जानी जाती है, जैसे प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट, (पीओआर) एच-2 मामला, अपराध रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) जब्ती सूचना आदि। तथापि, यह देखा गया है कि कुछ न्यायिक अधिकारी जो वन्यजीव अपरोध मामलों के लिए नए हैं ऐसी रिपोर्टों की वैद्यता पर संदेह करते हैं और एफआईआर/पीओआर पर जोर देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने ऐसी रिपोर्टों को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वे पुलिस द्वारा फाइल की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के समान नहीं है। ऐसी तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए और व्यवहार में एक रुपता लाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि वन्यजीव अपराध के मामलों में अधिकारिता न्यायालय में प्रस्तुत की गई प्रथम रिपोर्ट को वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर) का नाम दिया जाए। वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(4) के तहत तैयार की जानी चाहिए। वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के लिए एक मानक फार्मेट अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

3.2 वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर) तैयार करने के लिए जांच सूची :

(i) प्रत्येक डब्ल्यूएलओआर को वर्ष-वार रखी जाने वाली एक क्रम संख्या देनी चाहिए उदाहरणार्थ फारेस्ट रेंज, डिविजन/टीआर का दिनांक .... को डब्ल्यूएलओआर सं.1/2012

(ii) फॉरेस्ट रेंज पर सूचना की प्राप्ति अथवा अपराध के पता लगने की तारीख और समय डब्ल्यूएलओआर में उल्लिखित होने चाहिए।

(iii) डब्ल्यूएलओआर केवल मानक फार्मेट में तैयार की जानी चाहिए।

(iv) डब्ल्यूएलओआर में सभी कॉलम विधिवत भरे जाने चाहिएं।

(v) कानून की सही धाराएं लगाई जानी चाहिएं।

(vi) सभी ज्ञात अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्तियों का पता, वर्तमान और स्थायी, माता-पिता, आयु, लिंग आदि का डब्ल्यूएलओआर में उल्लेख किया जाए।

(vii) यदि अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति ज्ञात नहीं हैं, तो उसका डब्ल्यूएलओआर में उल्लेख होना चाहिए।

(viii) अज्ञात अभियुक्त के शामिल होने के मामले में, ``और अन्य अज्ञात अभियुक्त`` शब्दों का ज्ञात अभियुक्त की सूची के उपरांत उल्लेख होना चाहिए।

(ix) डब्ल्यूएलओआर का सूचना वाला भाग सरल भाषा में और बिना किसी द्वयर्थकता के होना चाहिए। इसे अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करने चाहिए।

(x) शामिल वन्यजीव का विवरण, सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम दोनों, अनुसूची जिसके अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में जानवर सूचीबद्ध है, अपराध के लिए दंड की मात्रा आदि सूचना वाले भाग में शामिल होने चाहिएं।

(xi) जांच अधिकारी, अधिकारी जिसने जब्ती की थी, और अधिकारी जिसने डब्ल्यूएलओआर लिखी थी, के नाम और पद का डब्ल्यूएलओआर में उल्लेख होना चाहिए।

(xii) डब्ल्यूएलओआर की प्रति बिना देरी के, आसन्न पर्यवेक्षी अधिकारी और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यह आवश्यक है ताकि आसन्न पर्यवेक्षी अधिकारी को उसकी अधिकारिता के अधीन अपराध के होने की जानकारी हो और साथ ही यह उसकी जांच में सलाह देने/प्रगति को मॉनीटर करने में उसकी सहायता करता है।

3.3 पुलिस अधिकारी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अपराधों की एफआईआर का पंजीकरण और जांच। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध के रुप में विनिर्दिष्ट नहीं है, इसलिए पुलिस अधिकारी अक्सर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की एफआईआर दर्ज और जांच करने के इच्छुक नहीं होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य कानूनों के तहत किए गए अपराध यदि 3 वर्ष और उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुसूची-I के भाग-II के तहत संज्ञेय श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। अधिनियम के तहत अधिकांश अपराध 3 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय होते हैं। इसलिए पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी अन्य संज्ञेय अपराध की भांति इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है। तथापि, न्यायालय अधिनियम की धारा 55 के तहत विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने के बाद ही अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी अपराध का संज्ञान लेंगे। इसलिए यदि संबंधित राज्य में पुलिस अधिकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत वन अधिकारी के माध्यम से शिकायत के रुप में न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। एक बार न्यायालय में शिकायत दर्ज हो जाने के बाद न्यायालय के निर्देश के बिना आगे और जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा, एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद अनुपूरक शिकायत दर्ज कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए बाद में की गई खोज, जब्ती, गिरफ्तारी आदि को नया मामला माना जाएगा और न्यायालय में अलग शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

अध्याय-4

तलाशी और जब्ती

4.1 तलाशी और जब्ती वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के उपबंधों के अनुसार किए जाने चाहिएं। यद्यपि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी एवं निरोध करने की शक्ति प्रदान करता है परंतु दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 100 के अधीन विहित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जैसे कि दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तलाशी का संचालन करना, तलाशी के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की एक सूची तैयार करना, महिला अधिकारियों का प्रयोग करते हुए महिला अधिभोगियों की तलाशी का संचालन करना, तलाशी लिए गए स्थान के अधिभोगी को तलाशी सूची की एक प्रति सौंपना आदि।

4.2 संबद्ध सूचना/आसूचना की प्राप्ति के समय से ही, तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रत्येक तथ्य और घटना को, तलाशी और जब्ती ज्ञापन में संक्षेप में लिखना चाहिए। एक मॉडल तलाशी और जब्ती ज्ञापन अनुलग्नक-IV में संलग्न है।

4.3 तलाशी और जब्ती ज्ञापन को अपराध के स्थान/घटना के स्थान पर तैयार किया जाना चाहए। घटना के स्थान पर नोट्स लिखना और बाद में कार्यालय अथवा अन्य कहीं ज्ञापन तैयार करने से, अपवादित मामलों में, को छोड़कर, बचना चाहिए। ऐसे मामलों में, उसके लिए वैध कारणों का तलाशी और जब्ती ज्ञापन में उल्लेख करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे बाद में अथवा अन्य कहीं बनाने वाले अधिकारी, कई महत्वपूर्ण तथ्यों अथवा साक्ष्य को खो सकते हैं, और ज्ञापन की प्रामाणिकता के बारे में संदेहों के लिए जगह भी पैदा कर सकते हैं।

4.4 फॉरेस्ट रेंज कार्यालय पुलिस स्टेशन के संदर्भ के साथ तलाशी के स्थान, दूरी और दिशा, मकान और कमरा नंबर (आवासीय अथवा व्यावसायिक परिसर के मामले में) के साथ पूरा पता और कुछ स्थायी विशेषताओं जैसे विशाल चट्टानें, वृक्ष नदियां, जल निकाय आदि (बाहर जब्तियों जैसे वन क्षेत्र के मामले में) का तलाशी और जब्ती ज्ञापन में उल्लेख होना चाहिए। स्थान का एक कच्चा रेखा मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए और तलाशी और जब्ती ज्ञान के साथ संलग्न करना चाहिए। तलाशी के समय स्थान का फोटोग्राफ अथवा विडियोग्राफ लेना चाहिए। फोटोग्राफों में अपराध के स्थान का विहंगम दृश्य और जब्त की गई वस्तुओं के नजदीकी चित्र शामिल होने चाहिएं।

4.5 तलाशी का संचालन स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। यदि सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, स्थान से दो सम्माननीय व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाहों के रुप में शामिल किया जा सकता है। व्यावसायिक परिसरों, होटलों आदि में तलाशी और जब्तियों के मामले में, होटल अथवा कार्यालय अथवा कंपनी के रोजमर्रा के व्यवसाय का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्रबंधक अथवा किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह के रुप में लिया जा सकता है। यदि जब्ती रेलवे स्टेशन पर की जाती है, रेलवे (सुरक्षा) बल अथवा राजकीय रेलवे पुलिस के पदधारी शामिल किए जा सकते हैं। किसी बस स्टैंड पर जब्ती के लिए, परिवहन निगम के पदधारी

स्वतंत्र गवाह हो सकते हैं। यदि उचित प्रयासों के बावजूद भी स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं, इसे ज्ञापन में स्पष्ट करना चाहिए। चोरी से शिकार करने वालों/वन्यजीव अपराधियों, विशेषकर घूमंतू जनजातियों जैसे पारधी और बावरिया के आवासों अथवा अस्थायी बस्तियों पर तलाशी का संचालन करते समय, ऐसी बस्तियों में और उनके चारों ओर ताजी भरी गई संदकों को खोदना चाहिए और तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी ऐसे स्थानों में वन्यजीव वस्तुओं और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को छिपाने की प्रवृत्ति होती है।

4.6 अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति से तलाशी के समय पर पूछताछ की जानी चाहिए और उसके द्वारा बताई गई सूचना तलाशी और जब्ती ज्ञापन में दर्ज की जानी चाहिए। पूछताछ में अधिप्राप्ति के स्रोत, परिवहन के तरीके, भुगतानों के विवरण, संभावित खरीददारों की जानकारियों, व्यापार में शामिल दलाल अथवा मध्यस्थ, उसके द्वारा किए गए पूर्व लेन-देन, अभियुक्त और उसके संपर्कों के मोबाईल फोन नंबर, अन्य अपराधिक मामलों में उसकी भागीदारी, उसके अथवा अन्य लोगों द्वारा कहीं और छिपाई गई अन्य वन्यजीव वस्तुओं, कब्जे के लिए वैध दस्तावेजों के विवरण, यदि कोई हों, शामिल होने चाहिएं।

4.7 अभियुक्त का एक प्रारंभिक बयान तलाशी के तुरंत उपरांत, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए।

4.8 वस्तुओं के सभी भौतिक पैरामीटर जैसे रंग, बनावट, आकार (लंबाई एवं चौड़ाई), गंध/महक और वस्तुओं की सामान्य स्थिति, तलाशी और जब्ती ज्ञापन में शामिल की जानी चाहिए।

4.9 अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अपने पास रखे गए मोबाईल, हैंडसेटों की जांच उनमें संग्रहित नंबरों का पता लगाने के लिए की जाने चाहिए और ऐसे नम्बरों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। ऐसी सूची को अनुलग्नक के रुप में तलाशी और जब्ती ज्ञापन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। मोबाईल फोन, हैंडसेट को उसकी जांच करने के उपरांत तत्काल स्विच ऑफ कर देना चाहिए और उसकी बैटरी निकाल लेनी चाहिए। मोबाईल फोन को विशेषज्ञ द्वारा पुन:परीक्षण के लिए जब्त कर लेना चाहिए।

4.10 अभयारण्यों या राष्ट्रीय पार्कों से संबंधित के नक्शे और अन्य प्रासंगिक सूचना के विवरणों तथा सौदों से संबंधित ई-मेल फाइलों आदि का पता लगाने के लिए अभियुक्त द्वारा रखे गए लैपटॉप कम्प्यूटरों की भी जांच करनी चाहिए। लैपटॉप पर समस्त प्रचालन गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति से कम्प्यूटर, ई-मेल एकाउंटों आदि के अंदर दर्ज करने के लिए प्रयुक्त किन्हीं पासवर्डों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और उन्हें तलाशी और जब्ती ज्ञापन में भी दर्ज करना चाहिए। विवरण लेने के उपरांत, लैपटॉप विशेषज्ञ द्वारा पुन: परीक्षण के लिए स्विच ऑफ, सील बंद और जब्त कर लिया जाना चाहिए।

4.11 खालों के मामलों में, किन्हीं परिरक्षियों, घावों, गोली लगने के स्थानों आदि के निशानों के मौजूद होने के संबंध में बारीक दृष्टि से जांच की जानी चाहिए और किए गए प्रेक्षणों को तलाशी और जब्ती ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए।

4.12 अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से संबद्ध धाराओं के अंशों के उद्धरण देकर किया जाना चाहिए।

4.13 वन पदधारियों, पशु चिकित्सकों, न्यायालयिक विशेषज्ञों से ली गई तकनीकी सहायता, यदि कोई, के विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

4.14 जब होटल के कमरों में, आवास अथवा व्यावसायिक परिसरों में तलाशी का संचालन किया जाता है, तो संभावित सुरागों का पता लगाने के लिए पूरे कमरे/घर की तलाशी ली जानी चाहिए। अपराध से संबंधित दस्तावेजों, जालों, औजारों, रसायनों आदि अथवा जो अपराध के साथ अभियुक्त को जोड़ सकते हैं, को जब्त कर लेना चाहिए।

4.15 जब्त की गई वस्तुओं के परीक्षण, फोटोग्राफी और भौतिक माप-तौल करने के उपरांत, जांच अधिकारी को जब्त की गई वस्तुओं पर उचित रुप से चिन्ह, सील और लेबल लगाने चाहिएं। इसे वरीयता से पारदर्शी पॉलीथीन के पैकेटों में करना चाहिए ताकि पहली बार प्रस्तुत करते समय न्यायालय के लिए उन्हें देखना आसान हो।

4.16 गिरफ्तारी के समय के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी का तलाशी और जब्ती ज्ञापन में उल्लेख होना चाहिए।

4.17 ज्ञापन के सभी पृष्ठों और संलग्नकों पर पदधारियों, स्वतंत्र गवाहों और अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं। सभी उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ लेबल जब्त की गई सामग्री वाले पैकेटों पर चिपकाए जाने चाहिएं। तलाशी और जब्ती ज्ञापन की एक प्रति पावती के अधीन अभियुक्त को प्रदान की जानी चाहिए।

4.18 तलाशी और जब्ती ज्ञापन साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसकी विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता होती हे। इसलिए, उसे तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। उसे बिना किसी संदिग्धता के सरल भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। अधिलिखन, परिवर्तन आदि से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। हाथ में मामले से संबंधित तथ्यों के अतिरिक्त किसी भी बात का तलाशी और जब्ती ज्ञापन में उल्लेख नहीं करना चाहिए।

4.19 आगे जांच के दौरान यदि आवश्यक हो तदनन्तर तलाशी का संचालन केवल वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(8) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुसार तलाशी वारंट के साथ किया जाना चाहिए।

4.20 तलाशी कब ली जानी है?

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) कहती है कि

'तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी अन्य बात के निहित होते हुए भी, निदेशक अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी अथवा मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी अथवा कोई वन अधिकारी अथवा कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक से कम रैंक का नहीं हो, यदि उसके पास विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के खिलाफ एक अपराध

किया है ...."। इसलिए तलाशी का संचालन करने वाले किसी वन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होने चाहिए कि जिस व्यक्ति के शरीर अथवा आवास/कार्यालय अथवा वाहन की तलाशी ली जानी है उसने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन एक अपराध किया है। दूसरे शब्दों में, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि इस अधिनियम के अधीन एक अपराध किया गया है, तलाशी का संचालन करने के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त हैं। इस उपबंध का महत्व अधिनियम की धारा 53 के प्रकाश में समझा जाना है, जिसमें अनुचित जब्ती के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए तलाशी का संचालन करने के लिए कारणों को स्पष्ट करने के लिए तलाश और जब्ती ज्ञापन तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।'

4.21 तलाशी और जब्ती जांच सूची

i. सभी प्रकार की जोड़-तोड़ से बचें। तलाशी एवं जब्ती प्रचालनों का संचालन करने से पूर्व, अधिकारियों को वरीयता से स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में व्यक्तिगत तलाशी देनी चाहिए।

ii. संक्षेप में और क्रमानुसार तलाशी के कारणों की घटनाओं का वर्णन करें।

iii. तलाशी के स्थान पर तलाशी ज्ञापन/जब्ती ज्ञापन तैयार करें।

iv. अधिप्राप्ति के स्रोत, एजेंटों, दलालों, अधिप्राप्ति की तारीख और स्थान, मौद्रिक लेनदेनों, संभावित खरीददारों, चोरी से शिकार करने के स्थान और समय, सह-अपराधियों, कार्य-प्रणाली और ऐसे सभी प्रासंगिक प्रश्नों के बारे में अभियुक्त से पूछताछ करें और अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर/स्पष्टीकरण को जब्ती ज्ञापन में शामिल करें। जिस मामले में किसी व्यक्ति पर पशु पर गोली चलाने का आरोप है उसमें उसकी उंगलियों का हस्त धावन किसी गोली के अवशिष्ट की उपस्थिति अभिनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए। उंगली के निशानों और प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रिपोर्ट के अतिरिक्त, अभियुक्त ने वास्तव में गोली चलाई थी यह स्थापित करने के लिए साक्ष्य का यह महत्वपूर्ण भाग होगा है।

v. वन्यजीव सामग्री की पहचान किसके द्वारा की गई, इसका उल्लेख जब्ती ज्ञापन में किया जाए।

vi. जब्त की गई सामग्री की विशेषताओं (ताजगी, आकार, रंग, बनावट, पैटर्न, लंबाई, संख्याओं, वजन आदि) का वर्णन करें।

vii. घाव के निशानों, चोटों और अन्य ऐसी चीजों का वर्णन करें जो आगे जांच के लिए सुराग प्रदान कर सकती हैं।

viii. किसी घर/कार्यालय/होटल के कमरे आदि की तलाशी के मामले में दस्तावेजों जैसे विजिटिंग कार्ड, फोटोग्राफ, पता/लिखे गए फोन नंबरों, राष्ट्रीय पार्कों/वन्यजीव अभयारण्यों के नक्शों/चित्रों, ई-मेल संदेशों आदि को देखें।

ix. लैपटॉप, मोबाईल फोन, आदि जब्त करें और ब्रांड नाम, सीरियल नंबर/आईएमईआई नंबर आदि के साथ उसका उल्लेख करें। जब्ती ज्ञापन में अभियुक्त और उसके सहयोगियों के मोबाईल फोन नंबरों का उल्लेख करें।

x. स्टोर किए गए संपर्क नम्बरों, हालिया कॉल सूची आदि के लिए मोबाईल फोन हैंडसेट का निरीक्षण करें और जब्ती ज्ञापन में पाए गए नंबरों का उल्लेख करें।

xi. अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त वाहन की तलाशी लें।

xii. होटलों में तलाशी और सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड/रेलवे स्टेशनों आदि में की गई जब्तियों के मामले में, जब्ती के लिए गवाहों के रुप में होटल मैनेजर अथवा किसी उत्तरदायी व्यक्ति को गवाह बनाकर रखें और ज्ञापन में उसका उल्लेख करें।

xiii. आग्नेयास्त्रों, जालों आदि को खोजें। अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जें में पाए गए नंबरों/नामों वाले कागजों के टुकड़ों को जब्त करें।

xiv. नकदी की भारी मात्रा का यदि उचित रुप से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाए तो जब्त कर ली जानी चाहिए।

xv. जब्त की गई तमाम चीजों को उचित तरह से चिन्हित कर, गवाहों के समक्ष सील किया जाना चाहिए। चिन्हित निशानों के बारे में विवरण जब्ती ज्ञापन में इंगित किया जाना चाहिए।

xvi. वस्तुओं को पैक करने में प्रयुक्त समाचार पत्र और अन्य सामग्रियां, यदि प्रासंगिक हों तो जब्त कर लेनी चाहिए।

xvii. वाहनों को जब्त करते समय, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर का जब्ती ज्ञापन में उल्लेख किया जाए।

xviii. तलाशी के कार्य के दौरान तलाशी टीम द्वारा देखी गई सभी असामान्य चीजों का जब्ती ज्ञापन में उल्लेख किया जाना चाहिए।

xix. नशीले पदार्थों, हथियारों आदि के पाए जाने का जब्ती ज्ञापन में उनका उल्लेख करने के उपरांत तुरंत संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करना चाहिए।

xx. एक वन्यजीव अपराध में जब्ती ज्ञापन साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। अत: सुपठनीय रुप से, विस्तृत और बिना सुधारों अथवा अधिलेखन के, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में घटना स्थल पर इसे तैयार करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 57 के अधीन, एक बार अभियुक्त के पास वन्यजीव अथवा उसके अंगों अथवा उत्पादों का कब्जा, अभिरक्षा और नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि कब्जा, अभिरक्षा और नियंत्रण अनाधिकृत है और उसके गलत साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर चली जाती है।

4.22 तलाशी और जब्ती के उपरांत के कार्यकलाप

(1) जब्त की गई वन्यजीव वस्तुएं ओर अन्य संपत्तियां वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर) के साथ, बिना अनुचित देरी के, संबंधित आधिकारिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निम्न दस्तावेज डब्ल्यूएलओआर के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं :

(i) फोटोग्राफों, घटना स्थल के रेखा मानचित्र और अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन के साथ मूल जब्ती ज्ञापन।
(ii) जब्त की गई संपत्तियों/वस्तुओं की सूची।
(iii) नश्वर मदों के मामले में नष्ट करने और जीवित पशुओं के मामले में पुनर्वास करने के लिए जब्त की गई सामग्री के निपटान हेतु अनुरोध।
(iv) विशेषज्ञ रिपोर्ट के लिए भेजे जाने के लिए नमूना लेने के लिए अनुरोध।
(v) यदि उचित अभिरक्षा उपलब्ध न हो तो रिमांड (प्रतिप्रेषण) की अवधि के दौरान पुलिस लॉक-अप में अभियुक्त को रखने के लिए स्थानीय एसएचओ को निर्देश के लिए अनुरोध।

(2) जब्ती के बारे में सूचना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 (4) के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी को देनी चाहिए और जब अपराध में संगठित/सीमा-पार अपराधी नेटवर्क की संलग्नता हो तो डब्ल्यूसीसीबी को भी सूचित करना चाहिए।

4.23 यदि अपराध शमनीय है तो भी, जब्त सामग्रियों को मुख्य वन्यजीव वार्डन को सूचना के अधीन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

4.24 अक्सर पशु मारे जाते हैं और मिट्टी में दफना दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में, निम्न सावधानियां बरतनी चाहिएं :-

(i) मिट्टी को धीरे से और सावधानीपूर्वक खोदें।
(ii) सभी हड्डियां एकत्र की जानी चाहिए और एक साथ रखी जानी चाहिएं।
(iii) पशु चिकित्सक को वरीयता से अपराध के स्थान पर बुलाया जाना चाहिए और मृत्यु का समय, प्रजाति, आयु, लिंग, मृत्यु के कारण आदि का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।
(iv) बरामद की गई हड्डियों की सफाई या धुलाई नहीं करनी चाहिए।
(v) बाल और कपड़ों के रेशे अलग-अलग लिफाफों में रखे जाने चाहिएं। बाल मारे गए पशु के बारे में प्रजाति, आयु, लिंग आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं दे सकते हैं।
(vi) जहर देने का संदेह होने के मामले में स्थान से मृदा विषवैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजी जानी चाहिए।

अध्याय-5

गिरफ्तारी

5.1 अभियुक्त की गिरफ्तारी वन्यजीव अपराधों की जांच का एक अभिन्न भाग है। वन अधिकारी और उप-निरीक्षक एवं उससे ऊपर के पद के पुलिस अधिकारी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(1) (ग) और 50(3) के अधीन गिरफ्तारी निरुद्ध करने का अधिकार है।

5.2 गिरफ्तारी की कार्यवाही अनुलग्नक-V में दिए गए फार्मेट पर गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन पर दर्ज की जानी चाहिए। ज्ञापन में गिरफ्तारी के लिए कारणों को उचित रुप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

5.3 अभियुक्त के सभी व्यक्तिगत विवरण जैसे उपनामों, यदि कोई हों, के साथ उसका पूरा नाम, माता-पिता, आयु, पता, दो प्रमुख पहचान चिन्ह, शरीर की अनुमानित बनावट, कद एवं भार का ज्ञापन में उल्लेख किया जाना चाहिए।

5.4 वरीयता से, गिरफ्तारियां अभियुक्त के किसी संबंधी अथवा शुभचिंतक की उपस्थिति में अथवा दो स्वतंत्रत गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

5.5 अभियुक्त द्वारा दिया गया पता अति शीघ्र सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त गलत पता देता है, तो उसका सही पता मालूम करने के प्रयास करने चाहिएं। यदि अभियुक्त जानबूझकर एक गलत पता देता है, प्रतिप्रेषण (रिमांड) रिपोर्ट में और अभियुक्त द्वारा फाईल की गई जमानत याचिकाओं का विरोध करते समय भी उसका उल्लेख करना चाहिए।

5.6 गिरफ्तारी की सूचना तत्काल अभियुक्त द्वारा बताए गए अनुसार परिवार के किसी सदस्य/संबंधी/शुभचिंतक और अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन को भी दी जानी चाहिए। यदि सूचना टेलीफोन से दी जाती है, तो यथाशीघ्र लिखित रुप में उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(4) के अधीन मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी को भी सूचना भेजी जानी चाहिए।

5.7 गिरफ्तारी किए गए अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली जानी चाहिए और उसके पास पाई गई वस्तुओं, पहने हुए कपड़ों के अलावा, का गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन में उपयुक्त स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि उसके पास से कोई वस्तु जब्त नहीं की जाती है तो उसका भी गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन में उल्लेख किया जाना चाहिए। जब्त नहीं की गई वस्तुएं पावती के अधीन अभियुक्त को वापस कर देनी चाहिए।

5.8 अभियुक्त के शरीर पर पाई गई चोट और/अथवा विरुपता का गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन में उल्लेख करना चाहिए। ऐसी चोटों के संबंध में अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का भी ज्ञापन में उल्लेख किया जाना चाहिए।

5.9 यदि आवश्यक हो तो अभियुक्त को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। अभिरक्षा में अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से पहले चिकित्सा जांच कराई जानी चाहिए। सहायक सिविल सर्जन अथवा समकक्ष पद के सरकारी चिकित्सक से स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाणपत्र लेना चाहिए। जेल प्राधिकारियों द्वारा अभिरक्षा में अभियुक्त को प्राप्त करने के लिए कई राज्यों में इसे अनिवार्य बनाया गया है।

5.10 यदि पूछताछ अथवा आगे जांच के लिए अभियुक्त की अभिरक्षा प्राप्त की गई है तो अभियुक्त की प्रत्येक 48 घंटे में एक बार चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।

5.11 महिलाओं के मामले में, गिरफ्तारी महिला अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। यदि महिला अधिकारी उपलब्ध न हो, तो गिरफ्तारी कम से कम महिला गवाह की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

5.12 गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के फोटोग्राफ लिए जाने चाहिए और मामले की फाइल में रखे जाने चाहिएं। अभियुक्त का निजी प्रोफाईल (डोसियर) तैयार किया जाना चाहिए और अनुलग्नक-VI में दिए गए फार्मेट में मामले की फाइल में रखा जाना चाहिए। सभी आदतन अपराधियों के विवरण जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अथवा स्थानीय पुलिस के कार्यप्रणाली ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

5.13 गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के उंगलियों के निशान स्थानीय पुलिस की सहायता से प्राप्त किए जाने चाहिएं और जिला अथवा राज्य स्तर फिंगर प्रिंट ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

5.14 गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन के सभी पृष्ठों पर अभियुक्त, स्वतंत्र गवाहों और जांच अधिकारी अथवा गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं। अभियुक्त के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप भी गिरफ्तारी सह-व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन के अंतिम पृष्ठ पर ली जानी चाहिए। उसकी प्रति पावती के अधीन अभियुक्त को दी जानी चाहिए।

5.15 माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं। मार्गनिर्देश अनुलग्नक-VII में दिए गए हैं। इन मार्गनिर्देशों का वन अधिकारी द्वारा भी किसी अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पालन किया जाना चाहिए।

5.16 अभियुक्त की गिरफ्तारी-जांच सूची :

(1) गिरफ्तारी की शक्ति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(1)(ग) और 50(3) के अधीन वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी को दी गई है।

(2) अभियुक्त की पहचान गिरफ्तारी किए जाने से पहले स्थापित की जानी चाहिए।

(3) गिरफ्तारी-सह-व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन विहित फार्मेट में गिरफ्तारी के समय तैयार किया जाना चाहिए। उसकी प्रति अभियुक्त को दी जानी चाहिए।

(4) गिरफ्तारी किए गए अभियुक्त को प्रतिप्रेषण (रिमांड) रिपोर्ट के साथ आधिकारिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

(5) गिरफ्तारी किए गए अभियुक्त से अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन न्यायालय में एक अलग याचिका फाइल करनी चाहिए।

(6) सांय 6 बजे और प्रात: 6 बजे के बीच अभियुक्त से पूछताछ न करें।

(7) अभियुक्त की गिरफ्तारी, निरोध अथवा अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान किसी भी समय शारीरिक प्रपीड़न/यातना का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

(8) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का फोटोग्राफ लिया जाए और विचारणा के पूर्ण होने तक मामले की फाइल में रखा जाए।

(9) गिरफ्तार व्यक्ति की उंगलियों के निशान स्थानीय पुलिस की सहायता से लिए जाएं और फिंगर प्रिंट ब्यूरो को भेजे जाएं।

(10) गिरफ्तार किए गए किशोरों के साथ किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।

(11) विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की सूचना उनके देश के दूतावास को दी जानी चाहिए।

(12) गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की चिकित्सा जांच, वरीयता से समीपस्थ सरकारी सर्जन द्वारा, की जानी चाहिए और प्रतिप्रेषण (रिमांड) रिपोर्ट के साथ मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया जाना है, तो प्रत्येक 48 घंटे में उसकी चिकित्सा जांच कराए जाने की आवश्यकता होती है।

(13) अभियुक्त की गिरफ्तारी उचित तत्परता और विवेकाधिकार के साथ की जानी चाहिए। यदि गिरफ्तारी अभियुक्त के किसी निकट संबंधी अथवा शुभचिंतक की अनुपस्थिति में की जाती है, तो ऐसी सूचना तत्काल भेजी जानी चाहिए।

अध्याय-6

जांच और शिकायत

6.1 जांच शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(ज) में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"जांच में पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा किसी व्यक्ति द्वारा (एक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त) जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है संचालित साक्ष्य के एकत्रण के लिए इस संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता) के अधीन सभी कार्यवाहियां शामिल हैं।" आपराधिक जांच विधिक ढांचे के अंदर साक्ष्य को पता लगाने, एकत्र करने, तैयार करने, पहचान करने और प्रस्तुत करने की एक धैर्यपूर्ण, सोपानी प्रक्रिया है।

6.2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित अनुसार, "साक्ष्य" से अभिप्रेत और उसमें शामिल है;

(1) गवाहों द्वारा सभी कथन जिनकी न्यायालय पूछताछ के अधीन तथ्य के मामलों के संबंध में अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देता है; ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।

(2) न्यालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत सभी दस्तावेज; ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।

इसलिए, एकत्र किए गए साक्ष्य न्यायालय को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए कि आरोप लगाए गए अनुसार अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है।

6.3 जांच शब्द धारा 50 की उप-धारा (8) को छोड़कर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में कहीं भी नहीं मिला है। इसलिए, जब तक उनके विपरीत अधिनियम के अधीन कोई विशेष प्रावधान न किया गया हो दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं में दिए गए तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, जमानत और साक्ष्य इकट्ठा करने के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

6.4 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के अनुसार, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अथवा मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी अथवा कोई वन अधिकारी अथवा कम से कम उप-निरीक्षक के पद का कोई पुलिस अधिकारी किसी स्थान में जहां वन्यजीव सामग्री रखे जाने का संदेह है, में प्रवेश करने, ऐसी वन्यजीव सामग्रियों के लिए तलाश का संचालन करने और उन्हें जब्त करने, अभियुक्त अथवा संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और निरुद्ध करने के लिए सशक्त हैं। यह समझा जाता है कि सभी कार्रवाईयों से मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विधिक ढांचे के अंदर जांच बनती है।

6.5 वन्यजीव अपराध के विशेष मामले में, जांच अधिकारी को निम्न तरीके से जांच की योजना बनानी चाहिए;

(1) अपराध के घटना/घटना के स्थान की जांच/लाश का पोस्टमार्टम
(2) अभियुक्त (अभियुक्तों)/संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) से पूछताछ
(3) गवाह (गवाहों) की जांच
(4) विशेषज्ञ राय के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (साक्ष्यों)/नमूनों का एकत्रण
(5) वैज्ञानिक/न्यायालयिक साक्ष्य/डिजीटल साक्ष्य(साक्ष्यों) का एकत्रण
(6) साक्ष्य (साक्ष्यों) का एकत्रण और विश्लेषण
(7) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन शिकायत फाइल करना।
(8) वन्यजीव सामग्रियों अथवा जीवित वन्य पशुओं/पक्षियों की जब्ती के मामलों में अपराध के स्थान/घटना की जांच

6.6 वन्यजीव सामग्रियों अथवा जीवित वन्य पशुओं या पक्षियों की जब्ती या तो बंद परिसरों (होटल के कमरों, घरों आदि) अथवा खुले क्षेत्रों जैसे वन, बस/रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि में होती है। ऐसी जब्तियां वन अधिकारियों द्वारा प्राप्त विश्वसनीय सूचना के अनुसरण में की जाती हैं। सभी वन रेंज कार्यालयों को एक डायरी रखनी चाहिए जिसमें सूचना की प्राप्ति के समय, विवरणों आदि के साथ ऐसी सभी सूचनाओं की प्राप्ति दर्ज की जानी चाहिए।

6.7 ऐसी किसी विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर रेंज अधिकारी को अधिकारियों/स्टाफ की पर्याप्त संख्या वाली एक टीम तैयार करनी चाहिए, जहां कहीं संभव हो, स्वतंत्र गवाह एकत्र करने चाहिएं और बिना समय नष्ट किए स्थान के लिए लिए प्रस्थान करना चाहिए। टीम को अपने साथ जांच किट लेकर जानी चाहिए। मानक जांच किट में अनुलग्नक-VIII में सूचीबद्ध मदें शामिल होनी चाहिएं। यदि संभव हो, मुखबिर को अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति और घटना स्थल की आसानी से पहचान के लिए विशेषकर सार्वजनिक स्थान में जब्ती के मामले में तलाशी टीम के साथ ले जाया जाना चाहिए। तथापि गोपनीयता बनाए रखने के लिए टीम के साथ मुखबिर की उपस्थिति को रिकॉर्ड में लाना आवश्यक नहीं है।

6.8 स्थान पर पहुंचने के उपरांत, अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए स्टाफ के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर तैनात करना चाहिए और संदिग्ध वन्यजीव सामग्री का पता लगाने के लिए तलाशी संचालित करनी चाहिए और सामग्री के पाए जाने पर उसे जब्त कर लेना चाहिए। अध्याय-4 में दिए गए अनुसार तलाशी और जब्ती के संबंध में मार्गनिर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। सभी जब्त की गई सामग्रियां बिना देरी के तलाशी एवं जब्ती ज्ञापन के साथ संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दी जानी चाहिए।

6.9 यदि मांस, हड्डियांखाल (स्केल), बाल आदि जब्त किए जाते हैं, तो जब्त की गई सामग्री की गणना, वजन किया जाए और तलाशी एवं जब्ती ज्ञापन में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा का एक नमूना अलग से एकत्र किया जाना चाहिए। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 (6) में विहित किए गए अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत मांस और अन्य नश्वर

वस्तुएं नष्ट कर देनी चाहिएं। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत जीवित वन्य पशुओं और पक्षियों का पुनर्वास किया जाना चाहिए और उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। अभिरक्षा में रखी गई शेष वन्यजीव वस्तुओं/सामग्रियों के परिरक्षण के उचित देखभाल की जानी चाहिए।

6.10 वन्यजीव वस्तुएं जैसे बाघ की खालें, नाखुन, दांत, हाथी दांत, कस्तूरी आदि अक्सर नकली होती हैं, इसलिए आगे कार्यवाही करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब्त की गई वस्तुएं नकली नहीं है, इन वस्तुओं की पहचान कर लेनी चाहिए।

वन्य पशुओं के चोरी से शिकार करने अथवा अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में अपराध के स्थान/घटना के स्थान पर जांच

इंटरपोल ईसीपी की ओर से, यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ लेबोरेटरी और द इन्वायरनमेंटल क्राइम कमिटीज वाइल्ड लाइफ वर्किंग ग्रुप द्वारा 'वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक मैनुअल' में संकलित किए गए अनुसार, एक वन्यजीव अपराध घटनास्थल जांच और अपराध घटनास्थल जांच (सीएसआई) टीम की भूमिका के मूल तथ्य अनुलग्नक-VIII (क) में में दिए गए हैं।

6.11 वन्य पशुओं के चोरी से शिकार करने अथवा अप्राकृतिक मृत्यु की घटनाओं में अपराध घटना स्थल की जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि (i) पशु को कैसे मारा गया, (ii) पशु को कहां मारा गया और (iii) मारने की संभावित तारीख एवं समय क्या हो सकते हैं और (iv) पशु को किसने मारा।

6.12 ऊपर पैरा 6.6 एवं 6.7 में उल्लिखित औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत टीम को यथाशीघ्र अपराध स्थान पर पहुंचना चाहिए। स्थान जहां लाश अथवा शरीर के अंग पड़े हुए हैं, के चारों ओर के क्षेत्र की एक उचित सीमा को साक्ष्य का पता लगाने के लिए, तलाश के संचालन के लिए सीमांकित करना चाहिए। इस प्रकार सीमांकित संपूर्ण क्षेत्र अपराध के स्थान के रुप में समझा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपराध के स्थान के अंदर पड़ी हुई कोई भी चीज, मामले को ध्यान में रखते हुए, मूल्यवान साक्ष्य हो सकती है। इसलिए, अपराध के स्थान के अंदर पड़ी हुई कोई भी सामग्री अथवा वस्तु अनदेखी और बिना दर्ज की गई नहीं रहनी चाहिए।

6.13 उन मामलों में, जहां कोई लाश पाई जाती है, लाश की पोस्टमार्टम जांच पशुचिकित्सक द्वारा अथवा बाघ की मौतों के मामले में एनटीसीए द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार पशुचिकित्सकों की एक टीम द्वारा अथवा इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य मार्गनिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। मौत का कारण, मौत का संभावित समय आदि दर्शाते हुए पशु चिकित्सक अथवा एक टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, शिकायत के साथ न्यायालय को भेजी जानी चाहिए।

6.14 उन मामलों में, जिनमें आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त आग्नेयास्त्रों के प्रकार की पहचान करने के लिए पोस्टमार्टम जांच के दौरान लाश से छर्रे अथवा गोलियां निकाली जानी चाहिएं। छर्रे अथवा गोलियां, प्रयुक्त आग्नेयास्त्रों का प्रकार अभिनिश्चित करने के लिए प्रक्षेपास्त्र विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा के लिए न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने चाहिएं। चूंकि वन अधिकारियों को भारतीय शस्त्र

अधिनियम के तहत अपराधों की जांच का अधिकार नहीं दिया गया है इसलिए जब कभी शस्त्र पाए जाते हैं या उपयोग में लाए जाने का संदेह होता है तब इस आशय की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए।

6.15 उन मामलों में जिनमें केवल शरीर के अंग जैसे हड्डियां, मांस के टुकड़े, बाल, खून आदि पाए जाते हैं, उन्हें सभी विधिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद वरीयता से पशु चिकित्सक द्वारा एकत्र, सीलबंद और परिरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार सीलबंद और परिरक्षित शरीर के अंगों को उचित रूप से लेबल किया जाना चाहिए और उस पर पशु चिकित्सक (चिकित्सकों), स्वतंत्र गवाहों, न्यायालयिक फारेंसिक विशेषज्ञ और जांच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं। इस प्रकार एकत्र किए गए शरीर के अंगों अथवा वस्तुओं के नमूनों को मारे गए जानवर की पहचान करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) अथवा अन्य ऐसे किसी विशेषज्ञ संस्थान को भेजना चाहिए। उनके संपर्क विवरणों के साथ ऐसे संस्थानों की एक सूची अनुलग्नक-IX में दी गई है।

6.16 जहर देकर मारने के मामलों में पशु चिकित्सक से विषवैज्ञानिक परीक्षण के लिए शरीर के भीतरी अंग के नमूने परिरक्षित रखने का अनुरोध करना चाहिए। प्रयुक्त विष की उपस्थिति और प्रकार सुनिश्चित करने के लिए विषविज्ञान विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के लिए संबंधित न्यायालयिक प्रयोगशाला (फारेंसिक लैब) को शरीर के भीतरी अंगों के नमूने भेजे जाने चाहिएं। विषविज्ञान रिपोर्ट को शिकायत के साथ न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।

6.17 हाथियों का चोरी से शिकार करने के मामले में, पशु चिकित्सक से उसके दांत की संभव परिधि पता लगाने का अनुरोध करना चाहिए और उसे अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन में शामिल करना चाहिए। यदि हाथी दांत बाद में प्राप्त कर लिया जाता है तो यह सूचना मारे गए हाथी के दांत से सहसम्बद्ध करने में सहायक होगी।

6.18 अपराध की घटना के स्थान को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में सुरागों/साक्ष्य के लिए तलाशी क्षेत्र-वार संचालित की जानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र से एकत्र किए गए साक्ष्य अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन तैयार करते समय सूचीबद्ध किए जाने चाहिएं।

6.19 अपराध स्थल की साक्ष्यों जैसे खाली कारतूसों, विष की खाली बोतलों, चोरी से शिकार करने में प्रयुक्त जालों एवं औजारों के टूटे टुकड़ों के लिए पूर्णत: तलाशी लेनी चाहिए, और यदि पाए जाएं, तो उन्हें आगे जांच के लिए एकत्र, पैक और सीलबंद किया जाना चाहिए। अपराध की घटना के स्थान के चारों ओर लगभग 500 मीटर के क्षेत्र की साक्ष्य के लिए पूर्णत: तलाशी ली जाए। कई मामलों में यह देखा जाता है कि उसे गोली लगने अथवा उसके विष खाने के उपरांत जानवर कुछ दूरी तक चलता है। यह भी एक सामान्य बात है कि चोरी से शिकार करने वाले खाल निकालने के लिए लाश को अपराध के वास्तविक स्थान से एक सुविधाजनक में ले जाते हैं।

6.20 अपराध के स्थान के आस-पास नदियों, तालाबों अथवा अन्य जल निकायों का भी साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि चोरी से शिकार करने वाले पास के जल निकायों अथवा नदियों

में अपने शरीर और जानवर की खाल निकालने में प्रयुक्त औजारों को धोते हैं। यह भी देखा गया है कि चोरी से शिकार करने वाले राष्ट्रीय पार्कों/बाघ रिजर्वों में प्रवेश अक्सर नदी तटों के साथ चलकर करते हैं।

6.21 डीएनए विश्लेषण के लिए नमूने परिरक्षित करने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। ऐसे नमूने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा विकसित आचार संहिता के अनुसार संतृप्त लवण घोल अथवा सिलिका जैल में परिरक्षित किए जाने चाहिएं। डीएनए विश्लेषण के लिए नमूनों को परिरक्षित करने के लिए फार्मेल्डीहाईड घोल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा विकसित आचार-संहिता (प्रोटोकॉल) अनुलग्नक-X में दी गई है।

6.22 अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन सभी घटनाओं का वर्णन करते हुए और स्थल से एकत्र किए गए सारे साक्ष्यों को सूचीबद्ध करते हुए तत्काल उसी स्थल पर ही तैयार किया जाना चाहिए। अपराध स्थान का एक कच्चा रेखाचित्र तैयार किया जाना चाहिए और अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। अपराध स्थल के फोटोग्राफ लिए जाने चाहिएं। अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन और सलंग्नकों के सभी पृष्ठों पर जांच अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं। अपराध स्थल से एकत्र की गई सभी भौतिक वस्तुओं/साक्ष्यों को भी जांच अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ पैक, सीलबंद और लेबल किया जाना चाहिए। यदि उचित प्रयासों के बावजूद भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया जा सके तो अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.23 अपराध स्थल से जब्त की गई सामग्री के साथ मूल अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन बिना अनुचित देरी के संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

6.24 अपराध स्थल की जांच पूर्ण होने के उपरांत, विशाल पशुओं जैसे हाथी अथवा गैंडे जिनकी लाश को दफनाया जाता है के मामले में को छोड़कर लाश को अनिवार्य रूप से जलाया जाना चाहिए। ऐसे निपटान के लिए विहित मार्गनिर्देशों का अतिसावधानी से पालन किया जाना चाहिए।

अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ :

6.25 किसी सफल अपराधिक जांच के लिए अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति से कुशलतापूर्वक पूछताछ अनिवार्य है। आगे मुख्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ जब्ती स्थल पर संचालित की जानी चाहिए। उससे विस्तार से पूछताछ बाद में की जानी चाहिए, और उसका बयान किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। वन अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया एक अभियुक्त का ऐसा बयान अभियुक्त का अतिरिक्त न्यायिक अपराध स्वीकरण होगा।

6.26 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(9) में प्रावधान किए गए अनुसार अभियुक्त की उपस्थिति में, धारा 50(8)(घ) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया साक्ष्य, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

6.27 अभियुक्त से पिछले संबंधों जैसे वन्यजीव सामग्रियों को प्राप्त करने का स्रोत, पैसे का लेनदेन, व्यापार में शामिल दलालों के विवरण, चोरी से शिकार करने और परिवहन की कार्यप्रणाली, गिरोह के अन्य

सदस्य वह स्थान अथवा वे स्थान जहां वन्यजीव सामग्रियां छिपाई जाती हैं और आगे के लिए संपर्कों जैसे संभावी खरीदार, मध्यस्थों अथवा दलालों की सलंग्नता, व्यापार में संगठित गिरोहों की मौजूदगी आदि के लिए पूछताछ करनी चाहिए। अभियुक्त द्वारा दिए गए सभी जवाबों को स्पष्ट रूप से दस्तावेजित किया जाना चाहिए।

6.28 अपराध स्वीकरण बयान का साक्ष्यिक मूल्य उसकी स्वैच्छिक विशेषता पर निर्भर करता है। किसी उत्प्रेरणा, धमकी अथवा वचन के अधीन किया गया अपराध स्वीकरण अपनी विश्वसनीयता खो देता है। इस प्रकार अपराध स्वीकरण स्वैच्छिक, सत्य और विश्वास करने योग्य होना चाहिए। यह स्पष्ट और असंदिग्ध और अपराध को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, एक अभियुक्त के बयान पर उसी अपराध में संलग्न दूसरे अभियुक्त के खिलाफ विचार किया जा सकता है।

6.29 अपराध स्वीकरण बयान अभियुक्त की गिरफ्तारी के 6-12 घंटों के भीतर दर्ज कर लिया जाना चाहिए। अपराध स्वीकरण बयान दर्ज करने में अनुचित देरी का उसकी विश्वसनीयता पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभियुक्त भी ऐसा बयान न देने का अपना मन बना सकता है।

6.30 यह भी सलाह दी जाती है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत तुरंत बयान दर्ज न किया जाए। अपराध स्वीकरण दर्ज करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को अपराध स्वीकार करने के लिए अपना मन बनाने के लिए अभियुक्त को कुछ समय देना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का यह भी अनिवार्य कर्तव्य है कि अभियुक्त को स्पष्ट करे कि वह अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। बयान में यह तथ्य दर्ज किया जाना चाहिए।

6.31 जहां तक संभव हो अपराध स्वीकरण अभियुक्त की भाषा में और अभियुक्त द्वारा बताए गए यथावत् शब्दों में दर्ज किया जाना चाहिए। एक बार दर्ज हो जाने पर, जिस भाषा में यह दर्ज किया गया था उस भाषा में बयान अभियुक्त के लिए पढ़ा जाना और स्पष्ट किया जाना चाहिए।

6.32. अपराध स्वीकरण बयान के प्रत्येक पृष्ठ पर अभियुक्त और बयान दर्ज करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि अभियुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो उसका बयान में उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.33 जिस मामले में अपराध स्वीकरण बयान वस्तु/हथियारों की प्राप्ति, अन्य किसी आपराधिक साक्ष्य, अन्य अभियुक्त आदि की संलग्नता को प्रकट करता है उसमें जांच अधिकारी को अभियुक्त की अभिरक्षा मांगनी चाहिए और छानबीन के लिए आगे कार्रवाई करनी चाहिए। कई न्यायालयों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि वन अधिकारी जांच के प्रयोजन के लिए अभियुक्त का प्रतिपेषण (रिमांड) प्राप्त करने के लिए सक्षम है। किसी वन अधिकारी के समक्ष किया गया अपराध स्वीकरण अतिरिक्त न्यायिक स्वीकरण की श्रेणी में आता है और वह साक्ष्य में स्वीकार्य है बशर्तें उसे स्वैच्छिक रूप से किया जाता है और स्वीकरण में प्रकट किए गए तथ्यों को संपुष्ट करने के लिए अन्य साक्ष्य हैं।

6.34 अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए शारीरिक बाध्यता अथवा अन्य अवपीड़क पद्धतियों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

गवाहों से पूछताछ :

6.35 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(8) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को, जो सहायक वन संरक्षक के पद से नीचे के नहीं हों, गवाहों की हाजिरी प्रवृत्त करने और उनके साक्ष्य प्राप्त तथा दर्ज करने के लिए प्राधिकृत करती है। धारा 50(9) में उल्लेख है कि उपरोक्त अनुसार दर्ज कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तदनन्तर विचारण में स्वीकार्य होगा बशर्तें कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किया गया है। अभिव्यक्ति होगा उसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली तदनन्तर विचारणा पर एक बाध्यकारी खंड बनाती है। दूसरे शब्दों में, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गवाहों के सभी बयान अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं, तो आरोप पूर्व साक्ष्यों को तदनन्तर विचारणा में जोड़ा जा सकता है और मजिस्ट्रेट आरोप तय करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकता है।

6.36 गवाहों से उन तथ्यों के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी में है। कोई भी तथ्य जो सुने-सुनाए हैं बयान में शामिल नहीं किए जाने चाहिएं। गवाहों के पूर्वानुमानों अथवा रायों को बयान में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि समय, स्थान, मापों, अभियुक्त का नाम, जब्त की गयी सामग्री के विवरण आदि जैसे तथ्यों के संबंध में विभिन्न गवाहों के बयानों के बीच में कोई विरोधाभास तो नहीं है।

6.37 उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में भी सभी वन पदाधिकारियों के बयान दर्ज किए जाने चाहिएं। विचारणा के समय उनकी याददाश्त को ताजा करने के लिए ऐसे बयान उपयोगी होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं तो घटना के स्थान, समय और तारीख और अन्य प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में विरोधाभासों से बचा जा सकता है। तथापि, तकनीकी गवाहों के बयानों जैसे डाक्टर जिसने पोस्टमार्टम जांच का संचालन किया, फारेंसिक विशेषज्ञों तथा भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान आदि से विशेषज्ञों, को दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

दस्तावेजी साक्ष्य का एकत्रण :

6.38 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(8)(ग) दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं की खोज और प्रस्तुति को विवश करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है। तथापि, वन्यजीव अपराधों की जांच में दस्तावेजी साक्ष्य को एकत्र करने को अक्सर उचित महत्व नहीं दिया जाता है। जिस मामले में अभियुक्त के बैंक खाते हैं उस प्रत्येक मामले में अभियुक्त के बैंक खातों की जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार, जहां कहीं लागू हो, निषिद्ध माल के परिवहन के संबंध में (बस/रेल/हवाई यात्रा की टिकटें, टोल प्लाजा की पर्चियां/रिकार्ड आदि) दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए जाने चाहिए ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि अभियुक्त ने निषिद्ध माल किसी विशेष स्थान से प्राप्त किया था और व्यापार के लिए उस स्थान पर लाया था जहां उसे जब्त किया गया है। वन्यजीव सामग्री को ढकने/पैकिंग करने के लिए उपयोग में लाए गए समाचार पत्र/अन्य पैकिंग सामग्री भी एकत्र की जानी चाहिए क्योंकि समाचार पत्र की तारीख, भाषा और प्रकाशन का स्थान सामग्री की अधि प्राप्ति के संभावित स्थान और तारीख पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसका उपयोग अभियुक्त के बयान की सच्चाई का पता लगाने के लिए भी और साथ ही किसी विरोधाभास के मामले में उसके सामने रखने के लिए किया जा सकता है। अभियुक्त के पास पाई गई कुछ संक्षेप में लिखी पर्चियां

(जोटिंग्स) या उन पर लिखे टेलीफोन नंबर या मोबाइल फोन नंबर, विजिटिंग कार्ड आदि की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और प्रासंगिक पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। वाहन की जब्ती के मामले में, स्वामित्व दस्तावेजी की प्रमाणित प्रतियां संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से एकत्र की जाएं। इसी प्रकार, घर अथवा दुकान से जब्तियों के मामले में घर अथवा दुकान से संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां एकत्र की जानी चाहिए।

6.39 दस्तावेजों जैसे एक अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क आदि के रूप में क्षेत्र की घोषणा करने वाले सरकारी आदेश (जीओ) और धारा 50,55 आदि के अधीन संबंद्ध अधिसूचनाएं भी शिकायत के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिएं।

वैज्ञानिक न्यायालयिक (फारेंसिक) साक्ष्यों का एकत्रण :

6.40 कुछ परिस्थितियां जिनमें वन्यजीव अपराध के जांच अधिकारी को वैज्ञानिक संस्थानों/फारेंसिक विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, नीचे सूचीबद्ध की गई हैं :

(i)	पादपों अथवा पादप व्युत्पन्नों की जब्ती	पादप की श्रेणी और प्रजाति की पहचान स्थापित करने के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (बीएसआई)कोलकाता को नमूने भेजे जाने चाहिएं।
(ii)	जीवित पशुओं की जब्ती	जानवर की श्रेणी और प्रजाति की पहचान स्थापित करने के लिए भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण (जैडएसआई) को नमूने भेजे जाने चाहिएं
(iii)	सीप, मूंगा आदि की जब्ती	
(iv)	मांस की जब्ती	जानवर की श्रेणी और प्रजाति स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून को नमूने भेजे जाने चाहिएं।
(v)	पशुओं की अप्राकृतिक मौत के मामले में	मृत्यु का कारण, प्रयुक्त हथियार और मृत्यु का संभावित समय स्थापित करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों और गवाहों की उपस्थिति में, सरकारी पशु चिकित्सक अथवा पशु चिकित्सकों की एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम जांच की जानी चाहिए। पोस्टमार्टम का संचालन करने के लिए एनटीसीए और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का पालन करना चाहिए।
		प्रयुक्त जहर की पुष्टि और पहचान करने के लिए भी संदिग्ध जहर देने वाले मामलों के मामले में विषवैज्ञानिक जांच के लिए शरीर के आंतरिक अंगों को एकत्र करना चाहिए और राज्य फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए भेजने चाहिएं।
		बीमारी के कारण मृत्यु होने की सूचना के मामले में रोगविज्ञान जांच के लिए शरीर के आंतरिक अंगों को भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून को भेजा जाना चाहिए।
(vi)	शरीर के अंगों जैसे बालों,	मारे गए जानवर की श्रेणी और प्रजाति का पता लगाने के लिए,

	हड्डियों, खून आदि की अपराध के स्थान से जब्ती	नमूनों को भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून को भेजा जाना चाहिए।
(vii)	जानवर का शिकार करने के लिए प्रयुक्त हथियारों, फंदों, औजारों आदि की जब्ती	आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त अन्य हथियारों पर पशु रक्त की उपस्थिति स्थापित करने के लिए समीपस्थ फारेंसिक सांइस लेबोरेटरी (एफएसएल) को भेजे जाएं। शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट के साथ आग्नेयास्त्र समीपस्थ पुलिस स्टेशन को भेजे जाने चाहिएं। तदनंतर, प्रक्षेपास्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति पुलिस से प्राप्त की जानी चाहिए और शिकायत के साथ सलंग्न करनी चाहिए।
(viii)	खालों की जब्ती	परिरक्षियों के रूप में प्रयुक्त रसायनों की उपस्थिति के लिए खाल की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। प्रयुक्त परिरक्षियों के प्रकार का पता लगाने के लिए, जहां कहीं संभव हो फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से नमूने एकत्र किए जाने चाहिएं और नमूनों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) को भेजा जाना चाहिए। यदि जानवर गोली चलाकर मारा जाता है, तो प्रयुक्त आग्नेयास्त्र के प्रकार, गोली चलाने की रेंज आदि का पता लगाने के लिए प्रक्षेपास्त्र जांच के लिए खाल को समीपस्थ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाना चाहिए। प्रक्षेपास्त्र जांच खाल पर बारूद के अवशिष्टों की उपस्थिति को भी स्थापित करेगी। बाघ की खाल के मामले में, सीधे कोण पर एक डिजिटल फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए और आवास जहां से बाघ का चोरी से शिकार किया गया है, को स्थापित करने के लिए वन्यजीव संस्थान में उपलब्ध केमेरा ट्रेप संग्रीहत उपलब्ध धारी नमूना के साथ मृत जानवर की धारी के प्रकार का मिलान करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून को भेजा जाना चाहिए।

6.41 क्षेत्रीय जांच दलों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और अन्य वैज्ञानिक संस्थान मुख्य रूप से अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। वन्यजीव अपराध फॉरेंसिक जांच में उनकी भागीदारी उनके प्रमुख कार्यों का निष्पादन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए वन्यजीव वस्तुओं अथवा लाश अथवा जीवित पशुओं, जिनकी श्रेणी और प्रजातियों की पहचान उनके रूपविज्ञान अध्ययन के आधार पर की जा सकती है, को पहचान के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान को नहीं भेजा जाना चाहिए। सभी वन अधिकारी विशेषकर जो जीवविज्ञान पृष्ठभूमि से हैं ऐसी रायें देने के लिए पर्याप्त योग्य और सक्षम हैं, और उनकी रिपोर्टों का संबंधित न्यायालयों में स्वीकार्यता का स्तर भारतीय वन्यजीव संस्थान अथवा अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्टों के समान है। ऐसी पहचान के लिए, वे

भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित प्रजाति पहचान आचार सहिंता को निर्दिष्ट कर सकते हैं, और विचारण के समय विचारण न्यायालयों को इसे स्पष्ट/आश्वस्त किया जाना चाहिए।

6.42 यदि आवश्यक फॉरेंसिक जांच छोटे नमूने के आधार पर की जा सकती है, तो पूर्ण लाश अथवा जब्त वन्यजीव वस्तुएं डब्ल्यूआईआई अथवा किसी अन्य संस्थान को नहीं भेजी जानी चाहिए क्योंकि यह इन संस्थानों के लिए भंडारण और संबंधित असुविधाओं को उत्पन्न करता है। ताजा ऊतक, अंतड़ियां हड्डियां, सींग, हिरन के सींग, बाल (रोमकूप के साथ), दांत, पंजे और नाखून, पंख (नीचे के पंखों में उपलब्ध डीएनए रहित), खालें (शुष्क, लवणित, अथवा शोधित), रक्त (ताजा अथवा शुष्क), शरीर द्रव्य, पका मांस, पशु अंगों से निर्मित शिल्प वस्तुएं, औषधि मदें पित्ताशय आदि जेनेटिक (आनुवंशिक) विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियां है।

6.43 विशेषज्ञ की राय अथवा फॉरेंसिक जांच के लिए निकाले गए नमूने अनुलग्नक-X में दिए गए फार्मेट पर एक अग्रेषण नोट के साथ भेजे जाने चाहिएं।

डिजिटल (आंकिक) साक्ष्य का एकत्रण :

6.44 अक्सर वन्यजीव अपराधियों के पास इलैक्ट्रानिक गैजेट जैसे लैपटाप, कंप्यूटर, मोबाईल फोन आदि होते हैं। इंटरनेट पर भी वन्यजीव वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। वन्यजीव विनिषिद्ध वस्तुओं के साथ उन गैजेटों को भी जब्त किया जाना चाहिए। इन गैजेटों की फॉरेंसिक जांच अपराध करने में अभियुक्त की संलग्नता अथवा उसके द्वारा की गई तैयारी को साबित करने में काफी सहायता अथवा संपुष्ट साक्ष्य प्रदान कर सकती है। रिपोर्ट किए गए मामलों में से एक में, अभियुक्त ने वन्यजीव सामग्रियों के लिए अपनी वेबसाइट पर एक विज्ञापन दिया जिन्हें बाद में उसके पास से जब्त कर लिया गया। उसे एक राष्ट्रीय पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया और संदर्भाधीन राष्ट्रीय पार्क का एक स्थलाकृतिक मानचित्र उसके लैपटाप से बरामद किया गया। विचारण न्यायालय ने इस डिजिटल साक्ष्य को अभियुक्त द्वारा की गई तैयारी को साबित करने के लिए एक मजबूत साक्ष्य के रूप में पाया और उसे दोषी मान लिया। जब्त किए गए लैपटाप और मोबाइल फोनों को उचित रूप से पैक और सीलबंद किया जाना चाहिए तथा फाइलों/मोबाइल फोन नंबर/संदेश आदि पुन: प्राप्त करने के लिए निकटवर्ती साइबर क्राइम प्रयोगशाला में जाना चाहिए। साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ से मिटाई गई फाइलों को भी पुन: प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए।

एकत्र किए गए साक्ष्य का मिलान और विश्लेषण

6.45 यह जांच में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जांच अधिकारी को तार्किक अनुक्रम में साक्ष्य का मिलान करना चाहिए और यह पता लगाने के लिए इसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य न्यायालय में शिकायत फाइल करने के लिए पर्याप्त हैं। उसे एकत्र किए साक्ष्य के प्रत्येक भाग की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना चाहिए और एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसे अन्य साक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। यदि साक्ष्य की शृंखला में कोई खोई कड़ी पाई जाती है, तो शिकायत दर्ज करने से पहले आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अनुपूरक शिकायतें दर्ज करने से बचने के लिए शिकायत फाइल करने से पहले सभी अभियुक्तों का पता लगाया जाए/उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन शिकायत दायर करना

6.46 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन शिकायत फाइल करने की अधिकारी की सक्षमता, प्रमुख महत्व का मामला होता है। शिकायत मुख्य रूप से वन्यजीव परिरक्षण निदेशक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा फाइल की जानी चाहिए। इसलिए, शिकायत फाइल करने से पहले, शिकायत फाइल करने वाले अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अधिनियम की धारा 55 के अधीन विचारित अनुसार शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत है।

6.47 यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, तो शिकायत अभियुक्त की गिरफ्तारी तिथि से 60 दिन के अंदर फाइल कर दी जानी चाहिए। एक से अधिक अभियुक्त होने के मामले में, 60 दिन की अवधि पहले अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि से आरंभ होती है।

6.48 अधिनियम की धारा 55 के अधीन फाइल की गई शिकायत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 (क) में उल्लेख किए गए अनुसार अपने सरकारी दायित्वों के निर्वाहन में कार्य करने वाले अथवा कार्य करने के लिए अभिप्रेत लोक सेवक द्वारा फाइल शिकायत के रूप में समझी जाए।

6.49 शिकायत किन्हीं अधिलेखनों, परिवर्तनों आदि के बिना वरीयता से टाईप की हुई अथवा साफ-साफ लिखी होनी चाहिए। शिकायत का एक मॉडल प्रोफार्मा अनुलग्नक-XI दिया गया है।

6.50 सभी अभियुक्तों का पूर्ण विवरण और उनमें से प्रत्येक द्वारा व्यक्तिगत रूप से निभाई गई भूमिका, अधिनियम की संबद्ध धाराओं के साथ उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए अपराध, शिकायत में बताए जाएं। अभियुक्त की वर्तमान स्थिति जैसे जमानत पर, न्यायिक हिरासत में, भागा हुआ आदि का भी शिकायत में उल्लेख किया जाए। यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तो जेल का नाम जिसमें उन्हें बंद किया है, बताया जाना चाहिए। भगोड़े अभियुक्त के मामले में, उसको गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों का शिकायत में उल्लेख किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी को किसी भगोड़े को घोषित अपराधी के रूप में घोषित कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और जांच और विचारण में आने के लिए उसे बाध्य करने के लिए उसकी परिसंपत्तियां कुर्क करानी चाहिए।

6.51 शिकायत सुस्पष्ट होनी चाहिए और बिना किसी संदिग्धता के होनी चाहिए। जो तथ्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है उनको शिकायत में उल्लेख नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार, जिस अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है उसका नाम शिकायत में नहीं होना चाहिए। मामले से संबंधित तथ्य और परिस्थितियों का सरल भाषा में, क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाना चाहिए। सार्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से सम्मलित प्रजातियों के नाम (स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम), अनुसूची जिसमें वह सूचीबद्ध है, अपराध के लिए विहित दंड की मात्रा, क्या अभियुक्त का अपराध दूसरी बार है अथवा अद्यतन अपराधी है आदि का शिकायत में उल्लेख किया जाना चाहिए। गवाहों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची शिकायत के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी, जो शिकायत फाइल करता है, को शिकायत और उसके अनुलग्नकों, यदि कोई हों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने चाहिएं।

6.52 गवाहों की सूची के अनुसार, अधिनियम की धारा 50(8) के अधीन दर्ज किए गए सरकारी गवाहों सहित सभी गवाहों के बयान, अभियुक्त के अपराध स्वीकार करने वाले बयान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज बयान, यदि कोई हो, शिकायत के साथ फाइल किए जाने चाहिएं।

6.53 मूल रूप में अथवा प्रमाणित प्रति के रूप में सभी दस्तावेज, संलग्न दस्तावेजों की सूची के अनुसार, शिकायत के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। ऐसे दस्तावेजों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है, जिन्हें शिकायत के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है :-

(1) अधिनियम की धारा 55 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को अधिकार प्रदान करने वाली सरकारी अधिसूचना की प्रति।

(2) तलाशी, गिरफ्तारी और जांच का संचालन करने के लिए अधिकारियों को अधिकार प्रदान करने वाली अधिनियम की धारा 50 के अधीन अधिसूचना।

(3) अपराध के स्थान/घटना के स्थान का रेखाचित्र और अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन ।

(4) जिस मामले में अपराध का स्थान/घटना का स्थान पार्क, अभयारण्य अथवा एक टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित क्षेत्र है उसमें क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य या टाइगर रिजर्व अधिसूचना की एक प्रति।

(5) पशुओं की अप्राकृतिक मौतों अथवा शिकार करने के मामले में, सरकारी पशु चिकित्सक (चिकित्सकों)/पशु चिकित्सकों की टीम से प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट ।

(6) फॉरेंसिक सांईस लेबोरेटरी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय जंतुविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पतिविज्ञान सर्वेक्षण आदि से विशेषज्ञों की रिपोर्टें।

(7) जब्त सामग्रियों को सील करने के लिए प्रयुक्त सीलों के नमूने वाली एक शीट।

(8) जब्त किए गए वाहन, जिस घर/दुकानों आदि से जब्ती की गई थी, उसके स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेजों का प्रति।

(9) आग्नेयास्त्रों की जब्ती के मामले में, प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

(10) मोबाइल फोनों की जब्ती के मामले में, कॉल डेटा रिकार्ड (सीडीआर), केवल तभी यदि वह मामले से संबद्ध हों। यदि इन्हें साक्ष्य के रूप में दिखाया जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अधीन एक प्रमाणपत्र सेवा प्रदाताओं से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(11) जब्त सामग्री, अपराध के स्थान/घटना के स्थान के फोटोग्राफ अथवा सीडी पर पोस्टमार्टम आदि के विडियोग्राफ।

(12) डब्ल्यूएलओआर की प्रति

(13) जांच के कार्य के दौरान एकत्र किए गए अन्य सभी दस्तावेज जिनका विचाराधीन मामले से संबंध है।

(14) गवाहों की सूची

6.54 अभियुक्त के विरूद्ध प्रक्रिया जारी करने और विधि के अनुसार शिकायत का निपटान करने के लिए न्यायालय से प्रार्थना करते हुए शिकायत के अंत में एक प्रार्थना शामिल होनी चाहिए।

6.55 न्यायालय में एक बार एक शिकायत फाइल किए जाने पर, मामले में आगे और जांच करने अथवा अनुपूरक शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

6.56 वन्यजीव अपराध जांच प्रक्रिया में जांच अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले क्रमबद्ध चरणों का एक प्रवाह चार्ट अनुलग्नक-XII में दिया गया है।

अध्याय-7

अपराधों का प्रशमन

7.1 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 54, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार कोई अन्य अधिकारी जो सहायक निदेशक वन्यजीव परिरक्षण के पद से नीचे का अधिकारी न हो अथवा मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा कोई अन्य अधिकारी जो उप वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी न हो, किसी व्यक्ति से जिसके विरूद्ध उचित संदेह मौजूद है कि उसने इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध किया है जिसका संदेह है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है अपराध का शमन करने के तरीके द्वारा एक धन राशि का भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करती है। प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए स्वीकृत अथवा सहमत धन राशि, किसी भी मामले में, पच्चीस हजार रूपये की राशि से अधिक नहीं होगी। प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी धन राशि का भुगतान पर, संदिग्ध व्यक्ति को यदि हिरासत में है, तो छोड़ दिया जाएगा और उसके विरूद्ध अपराध के संबंध में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

7.2 कोई भी अपराध जिसके लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 में कारावास की एक न्यूनतम अवधि विहित है का शमन नहीं किया जाएगा। इससे अभिप्रेत है, अनुसूची-I और अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध वन्य प्राणियों से संबंधित कोई अपराध और टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में शिकार करना, शमनयोग्य अपराध नहीं है।

7.3 अपराध के शमन करने में मामले में भी, अध्याय 4 एवं 5 में विहित कार्यविधियों का पालन करना चाहिए। कई राज्यों में यह देखा गया है कि जब अपराधों का शमन किया जाता है तब जब्त संपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती है और/अथवा मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को सूचना नहीं दी जाती है। यह व्यवहार वन्य जीव अधिनियम, 1972 की धारा 50(4) का एक उल्लंघन है।

7.4 शमन करने के लिए स्वीकृत पच्चीस हजार रूपए प्रति मामला है और प्रति अभियुक्त/प्रति संदिग्ध व्यक्ति अथवा प्रति अपराध नहीं है।

7.5 वन्यजीव अपराधों का शमन करने के लिए निम्न कार्यविधि का पालन किया जाए :-

(1) वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 50(4) के अधीन प्रावधान किए गए अनुसार डब्ल्यूएलओआर के साथ आधिकारिक न्यायालय में सभी जब्त सामग्रियों , वाहनों, फंदों, औजारों, हथियारों आदि को प्रस्तुत करना।

(2) अपराध से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना । अपराध शमन के लिए उसे स्वैच्छिक रूप से आगे आना चाहिए।

(3) अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति को उसको शमन की मांग करने के लिए कारणों को बताते हुए अपराधों को शमन करने के लिए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

(4) इस चरण पर, अपराध का शमन करने के लिए मामले की फाइल डीसीएफ/डीएफओ अथवा सहायक निदेशक वन्यजीव परिरक्षण को भेजी जाए।

(5) डीसीएफ/डीएफओ/प्राधिकृत अधिकारी को अभियुक्त के विरूद्ध रिकार्ड पर साक्ष्य और मामले से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए और धन की एक विनिर्दिष्ट राशि के भुगतान के विरूद्ध अपराध का शमन करने वाला एक कारण बताते हुए स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी करना चाहिए।

(6) शमन करने वाले आदेश की एक प्रति सूचना के लिए आधिकारिक न्यायालय को भेजी जाए।

7.6 अधिनियम की धारा 60 (क) में प्रावधान है कि अपराध का शमन करने वाला अधिकारी प्रशमन के तरीके से स्वीकृत राशि में से पचास प्रतिशत से अनाधिक राशि अपराध का पता लगाने में अथवा अपराधियों को पकड़वाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किए जाने का आदेश कर सकता है।

7.7 अपराधों का शमन करना - क्या करें और क्या न करें :

(1) शमन करने को एक दस्तूर नहीं बनाना चाहिए । यह एक अपवाद है एक नियम नहीं है। किसी अपराध का शमन करने का आदेश पारित करते समय उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(2) यह तथ्य कि न्यूनतम कारावास विहित नहीं है, किसी अपराध का शमन करने के लिए एकमात्र मापदण्ड नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और शमन आदेश में साक्ष्य पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उन मामलों में जिनमें अभियुक्त शिकार करने, अवैध व्यापार में संलग्न है और आदतन अपराधी है, शमन करने का सहारा नहीं लेना चाहिए।

(3) मामलों को शमन केवल तभी करना चाहिए जब अभियुक्त उसके ऐसा करने के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए उसके लिए आवेदन करे।

(4) शमन करना केवल एक विभागीय कार्यवाही है, यह न तो दोष सिद्धि है और न ही दोष मुक्ति।

(5) वाहनों की जब्ती अथवा विमोचन अपराध के शमन का आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

(6) वन्यजीव वस्तुएं, फंदे, औजार आदि को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के उपरांत नष्ट अथवा अन्यथा निपटान कर दिया जाना चाहिए।

(7) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 54 वाहन की जब्ती अथवा वाहन के विमोचन के बारे में कोई बात नहीं कहती है; इसलिए, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के उपरांत संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए आदेश दिया जाए।

(8) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 54 के अधीन अपराध का शमन करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन शमन करना जैसा नहीं होता है।

अध्याय-8

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन विशेष प्रावधान

8.1 वन्य प्राणियों आदि का सरकारी संपत्ति होना :- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39(1) (क) (ख) एवं (ग) के अनुसार परेशान तथा नुकसान करने वाले छोटे मोटे जीव जंतुओं के अतिरिक्त अन्य वन्य प्राणी जिनका शिकार किया जाता है, जिन्हें बंद रखा जाता है अथवा बंदी बनाकर प्रजनन कराया जाता है, मृत पाया जाता है अथवा गलती से मारा जाता है, और पशु वस्तुएं, ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी अथवा ऐसे पशुओं से प्राप्त किया गया मांस,भारत में आयातित हाथी दांत, और ऐसे हाथी दांत से बनाई गई वस्तु, राज्य सरकार की संपत्ति होगी और केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय पार्क में किए गए अपराधों के मामले में ऐसे पशु अथवा पशु वस्तुएं केन्द्र सरकार की संपत्ति हैं। धारा 39(1) (घ) में उल्लेख है कि वाहन, हथियार, फंदा और औजार जो इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध करने के लिए प्रयोग किए गए हैं भी सरकारी संपत्ति हैं। कई बार वन रेंज अधिकारी जब्त वाहन को अधिग्रहित करने के लिए इस धारा का प्रयोग करते हैं, जो कानून की नजर में गलत व्यवहार है। ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जहां प्राधिकृत अधिकारी ने अपराधों के शमन करने के समय पर वाहन की जब्ती का आदेश दे दिया। हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में, यह नोट किया जा सकता है कि धारा 39(1)(घ) सिर्फ सक्षम न्यायालय के अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए अभियोग और आरोप के सही पाये जाने तथा यह निष्कर्ष दर्ज कराने पर, कि जब्त वस्तु का प्रयोग अपराध करने में हुआ था, के उपरांत ही प्रयोग में आएंगी।

8.2 अधिनियम की धारा 51 के अधीन विहित न्यूनतम दंड :- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम दंड विहित करती है। तथापि, यह देखा गया है कि कुछ न्यायालय विहित न्यूनतम दंड से कम दंड दे रहे हैं। ऐसे आदेशों के खिलाफ अपीलें फाइल की जानी चाहिएं। न्यायिक अधिकारियों को न्यूनतम विहित दंड के बारे में संवेदनशील बनाया जाना/सूचित किया जाना चाहिए।

8.3 धारा 51(2) के अधीन दोष सिद्ध होने पर मामला संपत्ति की जब्ती:- जब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी सिद्ध होता है, तो अपराध की विचारणा करने वाला न्यायालय आदेश कर सकता है कि कोई बंदी पशु, वन्य पशु, पशु वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयातित हाथीदांत अथवा ऐसे हाथीदांत से निर्मित वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप अथवा उसका भाग अथवा उससे व्युत्पन्न जिसके संबंध में एक अपराध किया गया है और उक्त अपराध को करने में प्रयुक्त कोई फंदा, औजार, वाहन, पोत अथवा हथियार राज्य सरकार द्वारा जब्त किए जाएं। यह धारा इस बात को भी रेखांकित करती है कि मामला संपत्ति की जब्ती केवल विचारणा न्यायालय द्वारा अभियुक्ति को दोषी सिद्ध करने के उपरांत ही की जाए। अधिनियम की धारा 51(2) के अधीन विचारित अनुसार संपत्ति की जब्ती अध्याय-6 क के अधीन अवैध शिकार करने और व्यापार करने से प्राप्त संपत्ति की जब्ती से भिन्न है।

8.4 धारा 60 क के अधीन जुर्माने की प्राप्तियों से न्यायालयों द्वारा मुखबिरों को पुरस्कार प्रदान करना :- जब न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले दंड में जुर्माना शामिल होता है तब विचारणा न्यायालय आदेश पारित कर सकता है कि जो व्यक्ति अपराध का पता लगाने अथवा अपराधियों को पकड़वाने में सहायता करता है, उसे जुर्माने की प्राप्तियों में पुरस्कार प्रदान किया जाए। यह प्रावधान प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा अपराधों के शमन

किए जाने के मामले में भी लागू होता है। दोनों ही मामलों में, पुरस्कार की राशि जुर्माने की प्राप्तियों के 50 प्रतिशत तक सीमित है।

8.5 कुछ मामलों में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन धारणा :- जहां यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप अथवा उसके व्युत्पन्न किसी व्यक्ति के कब्जे, हिरासत अथवा नियंत्रण में है, वहां यह माना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास उसका अनाधिकृत कब्जा, हिरासत और नियंत्रण है। तथापि, यह भी ध्यान में रखा जाए कि भार अभियुक्त पर डालने के बाद भी, उचित संदेह से परे मामले को साबित करने का प्रारंभिक दायित्व अभियोजन का ही रहता है।

8.6 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय 6 क के अधीन विचार किए गए अनुसार अवैध शिकार करने और व्यापार से प्राप्त संपत्ति की जब्ती, उन मामलों में लागू होती है जिनमें अपराधी को तीन वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है।

अध्याय-9

न्यायालयों में मामलों का अभियोजन

9.1 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन शिकायतों पर आरंभ किए गए मामलों में विचारणा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 से 248 तक के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाती है।

9.2 शिकायत फाइल करने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध प्रक्रिया को जारी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जांच अधिकारी और लोक अभियोजक को ऐसी देरियों से बचने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जांच अधिकारी अथवा उसके स्टाफ को सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में गवाहों की हाजिरी सुनिश्चित करनी चाहिए, गवाहों को उचित रूप से संक्षेप में जानकारी देनी चाहिए और विचारणा के समय से पूर्ण होने के लिए लोक अभियोजक/मजिस्ट्रेट के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए।

9.3 विचारणाधीन मामलों में अभियोजन के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करने, प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन, गवाहों की हाजिरी सुनिश्चित करने और साक्ष्य से पहले उन्हें संक्षिप्त जानकारी देने के अधीन मामलों में अभियोजन का अनुवर्तन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय के पास अभिहित एक वन अधिकारी होना चाहिए। यदि ऐसे कार्य के लिए विशेष रूप से एक अधिकारी अलग से रखना संभव नहीं है, तो संबंधित जांच अधिकारी को अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिए और सुनवाई के दिनों पर न्यायालय में हाजिर होना चाहिए। उसे अनुलग्नक-XIII में दिए गए फार्मेट पर उस दिन न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों की विचारणा में प्रगति, अभियोजन गवाहों और लोक अभियोजकों की उपस्थिति और निष्पादन, सुनवाई की अगली तारीख और विचारणा कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी अन्य प्रासंगिक प्रेक्षण के बारे में अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आधिकारिक एसीएफ/डीसीएफ को एक दैनिक कोर्ट डायरी प्रस्तुत करनी चाहिए।

9.4 यह देखा गया है कि बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा बार बार स्थगन आदेश मांगने के कारण वन्यजीव मामले कई वर्षों तक विचारणा के अधीन लंबित रहते हैं। जांच अधिकारी/अभिहित अधिकारी को विचारणा कार्यवाहियों की प्रगति की गहन मॉनीटरिंग करनी चाहिए और विचारणा को तेजी से पूर्ण करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के लिए लांक अभियोजक पी.पी. से उपयुक्त हस्तक्षेपों के लिए अनुरोध करना चाहिए। पर्यवेक्षक अधिकारियों को तिमाही आधार पर विचारणा के अधीन लंबित मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिएं।

9.5 वन्यजीव अपराध मामलों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय संदर्भ के लिए अनुलग्नक-XIV में दिए गए हैं।

अध्याय-10

पर्यवेक्षक अधिकारियों की भूमिका

10.1 पर्यवेक्षक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि जहां तक संभव हो जांच का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करें और जब आवश्यक हो अपराध के स्थल का दौरा करें। डीएफओ/डीसीएफ को अपनी अधिकारिता के अधीन सूचित किए गए वन्यजीव अपराधों की एक चल नोटबुक रखनी चाहिए जिसमें उसे नियमित रूप से वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर) का सारांश और तदनन्तर जांच के प्रमुख बिंदु दर्ज करने चाहिएं। उसके द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षण नोटों का सार भी उसमें दर्ज किया जाना चाहिए और उसके अनुपालन को मॉनीटर किया जाना चाहिए। चल डायरी को न्यायालय में मामले का निपटान होने पर ही बंद किया जाना चाहिए।

10.2 मंडल स्तर पर मंडल वन अधिकारियों/उप वन संरक्षकों की भूमिका

(1) प्रत्येक रेंज अधिकारी को सबसे तेज उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी और डीएफओ/डीसीएफ को उसकी अधिकारिता के अधीन किसी वन्यजीव की मौत/वन्यजीव अपराध के होने की सूचना देनी चाहिए। सभी अप्राकृतिक मौतों में, वन्यजीव अपराध रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और जांच आरंभ की जानी चाहिए। वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर) की एक प्रति उसी दिन, संबंधित डीएफओ/डीसीएफ को भेजी जानी चाहिए। जहां तक संभव हो, वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से घटना स्थल का दौरा करना चाहिए और अपराध की आरंभिक जांच का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

(2) डीएफओ/डीसीएफ को उन वन्यजीव अपराधों का दैनिक विवरण तैयार करना चाहिए जो पिछले 24 घंटो के दौरान उसकी अधिकारिता के अधीन हुए हैं और समीक्षा के उपरांत जांच अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए। उक्त विवरण की एक प्रति सूचना के लिए संबंधित सर्कल/जोन के वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) को भेजी जानी चाहिए।

(3) उसे लंबित जांच और विचारणा मामलों की चर्चा और समीक्षा करने के लिए रेंज अधिकारियों की मासिक अपराध बैठकों का संचालन करना चाहिए। भगौड़ों की गिरफ्तारी और जमानत पर आदतन अपराधियों की गतिविधियों को मॉनीटरन करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं। जांच में शामिल होने के लिए भगौड़े अपराधियों को बाध्य करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अधीन कार्यवाही की जाए। दीर्घकाल से लंबित विचरणा/जांच मामलों को विशेष रुप से मॉनीटर के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

(4) उसे वन्यजीव मामलों पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस, न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों के साथ तिमाही बैठकें करनी चाहिए और उनका सहयोग मांगना चाहिए।

(5) लंबित जांच और विचारणा मामलों के निपटान के लिए रेंज अधिकारियों को तिमाही लक्ष्य देने चाहिए।

10.3 सर्कल/जोन स्तर पर वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की भूमिका :

(1) लंबित विचारणा और लंबित जांच के मामलों में प्रगति को मॉनीटर करने के लिए, डीसीएफ और एसीएफ की तिमाही अपराध बैठकें बुलाना। दीर्घकाल से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाना।

(2) भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने और आदतन अपराधियों की गतिविधियों को मॉनीटर करने आदि के लिए सर्कल/जोनल स्तर प्रचालनों को समन्वय करना।

(3) भगौड़ों को गिरफ्तार करने के लिए आसूचना साझा करने, गवाहों को बुलाने आदि के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों से संपर्क करना।

(4) अपराध आंकड़े अनुरक्षित करना और डिविजनों के बीच में सूचना का प्रसार करना। सर्कल/जोनल स्तर पर वन्यजीव अपराध डाटा बेस का निर्माण करना।

10.4 राज्य स्तर पर पीसीसीएफ/सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू की भूमिका

(1) विचारणा और जांच के अधीन वन्यजीव मामलों में प्रगति की समीक्षा के लिए छ: माह में एक बार वन संरक्षकों /सीसीएफ की अपराध बैठकें।

(2) जांच के अधीन मामलों, को विशेषकर संगठित नेटवर्क अथवा/और अंतर राज्यीय मामले शामिल हैं, मॉनीटर करने और लंबित विचारणाधीन मामलों को मॉनीटर करने के लिए एक विशेष मॉनीटर सैल का निर्माण करना। राज्य वन्यजीव अपराध डाटाबेस का निर्माण करना।

(3) भगौड़ों को पकड़ने और आदतन अपराधियों की गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए पुलिस के साथ संयुक्त प्रचालनों सहित राज्य स्तर के प्रचालनों का समन्वय करना।

(4) सीमा पर प्रशासनों के साथ संगठित वन्यजीव अपराध ओर मामलों की जांच में, डब्ल्यूसीसीबी के साथ समन्वय करना।

10.5 मामला डायरियां :- मामला डायरियां या केस डायरियां जब कभी अपेक्षित हों, मामलों की जांच, प्रगति को मॉनीटर करने और मार्गनिर्देश/निर्देश जारी करने पर नियमित अद्यतन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों के पास प्रभावकारी साधन हैं। यद्यपि वन अधिकारी मामला डायरियां लिखने के लिए बाध्य नहीं हैं, तथापि, इस व्यवहार का वन्यजीव अपराध जांच में पेशेवर सोच उत्पन्न करने और साथ ही समय पर हस्तक्षेपों के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के ऊपर एक बेहतर पर्यवेक्षण करने में आगे चलकर लाभ होगा। इसलिए, जांच अधिकारियों (रेंज अधिकारी/एसीएफ) को मामले की जांच में अपने दैनिक प्रयासों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक मामला डायरी (देखें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मामला डायरियों में क्रमबद्ध संख्या पड़ी होनी चाहिए और उन्हें डुप्लीकेट को जांच में

आगे की कार्यवाही के लिए उसकी सूचना और निर्देशों के लिए एसीएफ/डीसीएफ के पास भेजा जाना चाहिए। मामला डायरियां, जब्ती/अभियुक्त की गिरफ्तारी के तिथि से लेकर शिकायत फाइल करने की तारीख तक लिखी जाएं। प्रत्येक मामला डायरी में उस दिन संचालित जांच का ब्यौरा होना चाहिए जैसे कि दौरा किए गए स्थान, जांच किए गए गवाहों के नाम और पते, एकत्र किए गए दस्तावेजों के विवरण, न्यायालय में फाइल की गई याचिकाएं, भेजे गए पत्र/नोटिस, पूछताछ के दौरान अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए बयानों एवं प्रकट किए गए तथ्यों के सार, पर्यवेक्षक के निर्देश और उन पर की गई कार्रवाई आदि। जांच अधिकारियों के लिए मामला डायरी विचारणा के समय पर अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए भी उपयोगी है। एक मॉडल मामला (केस) डायरी फार्मेट अनुलग्नक-XV के रुप में संलग्न है।

अध्याय-11

विचारणा उपरांत कार्रवाई

11.1 वन्यजीव अपराध मामले के विचारणा में न्यायालय द्वारा जब अंतिम आदेश दिया जाता है, तब निर्णय की एक प्रति संबंधित डीसीएफ/एसीएफ द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और अपनी टिप्पणियों के साथ उसे अगले उच्च अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए।

11.2 दोषसिद्ध के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दी गई दंड की मात्रा पर्याप्त है। दंड की मात्रा पर्याप्त न होने के मामलें में, इसे वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और निर्णय के विरुद्ध एक अपील आधिकारिक सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, में फाइल की जानी चाहिए।

11.3 पर्याप्त दंड के मामले में, वन विभाग का प्रमुख जो पदाधिकारी मामले का पता लगाने/जांच/विचारणा में सहायक थे उन्हें उपयुक्त नकद पुरस्कार स्वीकृत करने का विचार कर सकता है।

11.4 दोषमुक्ति के मामले में, समय सीमा की अवधि के अंदर मामले को दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए डीसीएफ की टिप्पणियों के साथ विधिक प्रकोष्ठ को भेजा जाना चाहिए। सभी दोषमुक्तियों में कमियों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और डिवीजन स्तर पर अगली अपराध बैठक में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न दोहराई जाएं।

11.5 दोषमुक्ति के मामले में, जहां अपील फाइल करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है दोषमुक्ति के लिए कारणों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और जांच अधिकारी की ओर से, की गई कमियों के लिए, यदि कोई हो, इस पर दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

11.6 दोषसिद्धि के मामले में, अभियुक्त का इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट) तैयार किया जाना चाहिए और रेंज और डिवीजन स्तर पर अनुरक्षित किया जाना चाहिए। इतिवृत्त का मानक फार्मेट अनुलग्नक-XVI में दिया गया है।

11.7 जब किसी हिस्ट्रीशीटर को जेल से रिहा किया जाता है, तो उसकी गतिविधियां संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा नियमित रुप से मॉनीटर की जाती है। दोषसिद्धि की सूचना पुलिस स्टेशन जिसकी अधिकारिता के अधीन दोषी व्यक्ति सामान्यत: निवास करता है, को भी दी जानी चाहिए और इतिवृत्त की एक प्रति उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

11.8 कारावास अवधि के उपरांत जमानत पर अथवा कारावास के अवधि पूरी होने के बाद जेल से छोड़े गए अभियुक्त की गतिविधियों को नियमित रुप से मॉनीटर किया जाना चाहिए। यदि लंबे समय के लिए दिए गए पते पर नहीं पाए जाते हैं तो उसके सामान्य निवास के तहत आने वाले वन्यजीव आवासों को निवारक उपाय करने के लिए सतर्क कर दिया जाना चाहिए। किसी हिस्ट्रीशीटर के एक नए स्थान पर चले जाने पर विशेषकर एक वन्यजीव आवास के पास, अस्थायी अवधि के लिए भी, उसकी गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखने और

रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक डीएफओ/आरएफओ/एसएचओ को सूचित किया जाना चाहिए। सूचना प्रपत्र के माध्यम से ऐसी सूचना देने के लिए एक मानक फार्मेट अनुलग्नक-XVII में दिया गया है।

11.9 दोषियों और आदतन अपराधियों का फोटो डाटाबेस डिवीजनल एवं राज्य स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए और देश में व्यापक परिचालन के लिए डब्ल्यूसीसीबी और एनटीसीए के साथ साझा किया जाना चाहिए।

11.10 धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के अधीन भारत में कालेधन को वैध बनाना अपराध है। वन्यजीव अपराध इसके अवैध व्यापार से उत्पन्न विशाल लाभों से प्रेरित होता है। ऐसी अवैध प्राप्तियों को अक्सर उनकी अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए वैध बनाया जाता है। मूल अपराधिक कार्य जिससे आपराधिक प्राप्तियां उत्पन्न होती हैं विधेय अपराध कहलाती है जबकि अपराध की प्राप्तियों की अपराधिक उत्पत्तियों को छिपाने वाली गतिविधि काले धन को वैध बनाना कहलाती है। धारा 9/17क/39/44/48/49ख के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 में पीएमएलए की अनुसूची के अधीन विधेय अपराधों के रुप में सूचीबद्ध हैं। तथापि, केवल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी पीएमएलए के अधीन मामलों की जांच करने के लिए सशक्त हैं। वन्यजीव अपराधों में पीएमएलए के अधीन कार्रवाई के समन्वय के लिए ईडी द्वारा नोडल एजेंसी के रुप में डब्ल्यूसीसीबी को अभिहित किया गया है। इसलिए, पीएमएलए के अधीन अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव अपेक्षित कार्रवाई के लिए डब्ल्यूसीसीबी को भेजे जाने चाहिएं।

अनुलग्नक-I **स्रोत रजिस्टर**							
	स्रोत कोड						
1.	पूरा नाम और माता-पिता, आयु						
2.	उपनाम/प्रचलित नाम, यदि कोई हो						
3.	निवास का पता						
4.	संपर्क के लिए मोबाइल फोन/टेलीफोन नंबर						
5.	ई-मेल						
6.	शैक्षिक योग्यताएं						
7.	व्यवसाय						
8.	अभिप्रेरक/कमजोरियां						
9.	विश्वसनीयता						
10.	अपराधिक इतिहास (यदि कोई हो)						
11.	टिप्पणी (यदि कोई हो)						

अनुलग्नक-।।

वन्यजीव अपराध नियुत्रण ब्यूरो के कार्यालयों की सूची

कार्यालय	**पता और संपर्क विवरण**	**शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकारिता**
ब्यूरो मुख्यालय	अपर निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, दूसरा तल, त्रिकूट-।, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 टेलीफोन : 011-26182483-85 फैक्स : 011-26160751	अखिल भारत अधिकारिता
दक्षिणी क्षेत्र	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो/दक्षिणी क्षेत्र, सी-2ए, राजाजी भवन, बेसेंत नगर, चेन्नई-600090 टेलीफोन : 044-24916747 फैक्स : 044-24463477	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप
पूर्वी क्षेत्र	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो/पूर्वी क्षेत्र, निजाम पैलेस, दूसरी एमएसओ बिल्डिंग, 6ठा तल, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 टेलीफैक्स : 033-22878698	असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल
पश्चिमी क्षेत्र	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो/ पश्चिमी क्षेत्र, कमरा नं.501/बी, 5वां तल, केन्द्रीय सदन भवन, सी.बी.डी. बिल्डिंग, बेलापुर, नवी मुम्बई-4000614 टेलीफैक्स : 022-26828184	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली

मध्य क्षेत्र	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो/मध्य क्षेत्र, आर.एफ.आर.सी. मांडला रोड, टी.एफ.आर.आई- कैम्पस, जबलपुर-482021 टेलीफैक्स : 0761-2840689	छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा
उत्तरी क्षेत्र	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, दूसरा तल, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 टेलीफोन : 011-26713181	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, दिल्ली

अनुलग्नक-III

वन्यजीव अपराध रिपोर्ट (डब्ल्यूएलओआर)

1. फोरेस्ट रेंज और डिवीजन का नाम
2. डब्ल्यूएलओआर संख्या और तारीख
3. पता लगने/जब्ती का स्थान
4. अपराध का पता लगने अथवा जब्त करने की तारीख
5. जब्त की गई वस्तुओं का विवरण
6. अपराध का स्वरुप और कानून की धाराएं
7. अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति का नाम, माता-पिता और पूर्ण आवासीय पता
8. क्या अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, यदि हां, तो किसके द्वारा
9. अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का स्थान और समय
10. स्वतंत्र गवाहों, यदि कोई हो, के नाम और पते
11. क्या मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना दी गई थी
12. कहां अथवा किसकी अभिरक्षा में जब्त संपत्तियां रखी गई/निरुद्ध की गई है

13 सूचित की गई घटना/अपराध का विवरण

न्यायालय को अपराध रिपोर्ट भेजने वाले
अधिकारी का नाम एवं पदनाम

संलग्नक

1. पृष्ठों .... में मूल तलाशी और जब्ती ज्ञापन
2. पृष्ठों .... में गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन
3. पृष्ठों .... में अभियुक्त का अपराध स्वीकरण बयान
4. अपराध स्थल निरीक्षण ज्ञापन, अपराध स्थल के फोटोग्राफ और रेखाचित्र
5. न्यायालय को भेजी गई चिन्हों के साथ जब्त की गई संपत्तियों की सूची

सेवा में,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जेएफएमसी
(स्थान एवं पता)

प्रति :

1. उप वन संरक्षक
2. वन संरक्षक
3. मुख्य वन्यजीव वार्डन.......................... राज्य
4. अपर निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुलग्नक-IV

.................................को...................................बजे जब्ती का समय और तारीख
....(स्थान का नाम) पर तैयार किया गया वन्यजीव

(संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(1) के अधीन मॉडल तलाशी और जब्ती ज्ञापन

आज - (1) - को लगभग (2) - बजे, वन रेंज अधिकारी (3) - वन रेंज को एक व्यक्ति जो अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था, से एक टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि - (4) - (5) - नाम के दो व्यक्ति जो वर्तमान में - (6) - में रह रहे हैं, के अवैध कब्जे में वन्यजीव सामग्रियां जैसे - (7) - हैं और वे उन्हें आर्थिक लाभ के लिए बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताए गए अनुसार - (8) - (9) हैं और - (10) - (11) है। मुखबिर द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि - (12) - पर आज लगभग - (13) - बजे - लेनदेन होने की संभावना है। - (14) - क्रम सं_____ पर अनुसूची - में सूचीबद्ध एक वन्यजीव है और - (15) - का शिकार करना, अवैध कब्जा और - (16) - अथवा उसके शरीर के अंगों की बनी पशु वस्तुओं, - (17)- अथवा उसके शरीर के अंगों आदि की बनी ट्राफियों का व्यापार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अपराध किया गया है, प्रतीत होता है, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(1) (ग) के अधीन जब्त किया जाना है। क्योंकि उपरोक्त सूचना यह विश्वास करने का एक उचित आधार है कि उक्त - (19) - और -(20)- ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विरुद्ध एक अपराध किया है, यह निर्णय किया गया है कि - (21)- के लिए प्रस्थान किया जाए और यदि अपेक्षित हो तो, उक्त पशु की वस्तुएं एवं ट्राफियां जब्त की जाएं। श्री - (22)- वन रेंज अधिकारी ने तलाशी और जब्ती ऑपरेशन के स्वतंत्र गवाहों के रुप में कार्य करने के लिए श्री - (23)- और श्री -(24)- की उपस्थिति सुनिश्चित की है। श्री - (25)- वन रेंज अधिकारी ने जब्ती और उसे कानूनी प्रावधानों के बारे में स्वतंत्र गवाहों को सूचित कर दिया था और वे जब्ती कार्यवाहियों के लिए स्वतंत्र गवाहों के रुप में कार्य करने के लिए सहमत हैं। उपरोक्त कथित स्वतंत्र गवाहों और -(26)- वन रेंज के निम्न अधिकारियों ने -(27)- के लिए रजिस्ट्रेशन सं.-(28)- वाले कार्यालय वाहन में लगभग -(29)- बजे -(30)- को प्रस्थान किया।

1. श्री ------------------------ वन रेंज अधिकारी
2. श्री ------------------------ वन दरोगा (फारेस्टर)
3. श्री ------------------------ वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड)
4. श्री ------------------------ वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड)

स्वतंत्र गवाहों के साथ टीम -(31)- पर लगभग -(32)- बजे -(33)- को पहुंची और -(34)- के पास दृश्य दूरी पर मोर्चे संभाल लिए और निगरानी शुरु कर दी। लगभग -(35)- बजे, -(36)- का एक व्यक्ति और -(37)- का दूसरा व्यक्ति -(38)- रंग का एक थैला लटकाए हुए -(39)- पहुंचे और -(40)- के पास खड़े हो गए। तत्काल, श्री -(41)- वन रेंज अधिकारी और टीम के अन्य सदस्यों और स्वतंत्र गवाहों ने उपर्युक्त व्यक्तियों जो -(42)- के पास खड़े हुए थे, को घेर लिया। वर्दी में वन रेंज अधिकारी और अन्य पदधारियों को देखकर, वे भयभीत हो गए और -(43)- रंग का थैला लेकर दूर भागने की कोशिश की। वन रेंज अधिकारियों और अन्य पदधारियों ने उन्हें रोक लिया। प्रश्न पूछे जाने पर, -(44)- के साथ व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसका नाम

-(45)- है और वह -(46)- पर रह रहा है। प्रश्न पूछे जाने पर -(47)- के साथ दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसका नाम -(48)- है और वह -(49)- पर रह रहा है। श्री -(50)- वन रेंज अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या उनके कब्जे में कोई वनपशु अथवा पशु वस्तुएं हैं जिसके उत्तर में उस व्यक्ति जिसने अपना नाम -(51)- बताया था, जवाब दिया कि उनके कब्जें में -(52)- रंग के थैले में व्यक्ति जिसने अपना नाम -(55)- बताया, द्वारा लाए गए हैं। वन रेंज अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार -(56)- ने स्वयं थैला खोला और निम्न वस्तुएं बाहर निकाली :-

1.
2.
3.

(वस्तुओं का विवरण जैसे संख्या, आकार, वजन, बनावट, रंग, गंध आदि जैसा लागू हो)

वन रेंज अधिकारी द्वारा आगे पूछताछ किए जाने पर, -(57)- और -(58)- ने बताया कि उनके पास उक्त वस्तुओं को अपने कब्जें में रखने अथवा उन्हें संसाधित अथवा उनका व्यापार करने के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं है। उन्होंने -(59)- से कोई 2-3 माह पहले -(60)- रुपयों में इन वस्तुओं को खरीदा था और इन वस्तुओं को -(61)- पर उन्हें -(62)- को -(63)- रुपये में बेचने के लिए लाए थे और उक्त -(64)- के आने की और वस्तुओं को ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसी समय वन विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। -(65)- ने वन रेंज अधिकारी को आगे बताया कि उक्त -(66)- (67)- का निवासी है और उसका मोबाइल नंबर -(68)- है। -(69)- ने वन रेंज अधिकारी को बताया कि -(70)- का मोबाइल नंबर -(71)- है। जब प्रश्न में पशु वस्तुओं को खरीदने के लिए धन के स्रोत के बारे में पूछा गया तब -(72)- ने बताया कि अपनी निजी बचत से उनमें से प्रत्येक द्वारा धन का योगदान किया गया था। -(73)- और -(74)- दोनों ने वन रेंज अधिकारी से निवेदन किया कि इस मामले में उन्हें माफ कर दिया जाए और वे इसे दुबारा नहीं करेंगे। क्योंकि -(75)- और -(76)- के पास उपरोक्त वनपशु वस्तुओं को अपने कब्जें में रखने और उन्हें संसाधित अथवा उनका व्यापार करने के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं है इसलिए उन्होंने इन वस्तुओं के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विरुद्ध अपराध किया है और इस प्रकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(1)(ग) के अधीन ये वस्तुएं जब्त की जानी है। अत: वन रेंज अधिकारी ने इस जब्ती ज्ञापन द्वारा उपरोक्त वस्तुओं को जब्त कर लिए और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पैक करके सीलबंद कर दिया और आगे जांच के लिए अभिरक्षा में ले लिया।

वन रेंज अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर -(77)- ने कहा कि उसका मोबाइल नंबर -(78)- है और -(७9)- ने कहा कि उसका मोबाइल नंबर -(80)- है। -(81)- ने एक -(82)- मोबाइल फोन हैंडसेट आईएमईआई नं. -(83)- वाला प्रस्तुत किया और -(84)- ने एक -(85)- मोबाइल फोन हैंडसेट आईएमईआई नं. -(86)- वाला प्रस्तुत किया। हाल ही की काल सूची (आने वाले और जाने वाले दोनों) में निम्न नंबर पाए गए :

1.
2.
3.

(हाल ही कॉल सूची में पाए गए नंबरों की सूची दी जाए)

हाल की कॉल सूची से यह देखा गया है कि -(87)- ने -(88)- से मोबाइल नंबर -(89)- पर और -(90)- से मोबाइल नंबर -(91)- पर ---- से ---- तक कई बार संपर्क किया। उपरोक्त उल्लिखित मोबाइल हैंडसेट भी आगे जांच के लिए स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त, पैक और सील किए गए।

-(92)- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची _______ में क्रम सं. ______पर विनिर्दिष्ट एक संरक्षित वन्यजीव है और ऐसे वन्य पशु का शिकार, अवैध कब्जा, व्यापार, प्रसंस्करण करना, शरीर के किन्हीं अंगों अथवा वस्तुओं अथवा ऐसे वन्य पशु के शरीर के किन्हीं अंगों से बनी ट्राफियों आदि का परिवहन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 40, 48क एवं 49ख के अधीन अपराध है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 के अनुसार, वन्यजीवों, वनपशु वस्तुओं, ट्रॉफी अथवा किसी वन्य पशु जिसके संबंध में उक्त अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है कि असंसाधित ट्रॉफी सरकार की संपत्ति है और यह कि कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ऐसी सरकारी संपत्ति को प्राप्त नहीं करेगा अथवा अपने कब्जे, अधिग्रहण अथवा नियंत्रण में नहीं रखेगा अथवा उपहार, बिक्री अथवा किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा अथवा नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। इसलिए -(93)- और -(94)- ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9,39,40,48-क,49-ख के अधीन अपराध किए जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन दंडनीय हैं और उनके साथ विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि वन रेंज अधिकारी संतुष्ट नहीं था कि -(95)- और -(96)- प्रस्तुत होंगे और किसी आरोप, जो उनके विरुद्ध लगाया जा सकता है, का जवाब देंगे अत: उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जब्त की गई वस्तुओं की एक पृथक सूची विस्तृत विवरण के साथ इस जब्ती ज्ञापन के साथ संलग्न है। उनके पैक और सील करने से पहले जब्त वस्तुओं के फोटोग्राफ लिए गए थे।

जब्ती कार्यवाहियों के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई अथवा कोई भी संपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं की गई। जब्ती कार्यवाहियां -(97)- बजे -(98)- को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जब्त ज्ञापन श्री -(99)- फॉरेस्ट गार्ड के हाथ से लिखा गया। (जब्ती ज्ञापन और उसके सभी संलग्नकों के सभी पृष्ठों पर अभियुक्त, टीम सदस्यों और स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)।

स्पष्टीकरण :

(1)	जब्ती की तारीख
(2)	सूचना प्राप्त करने का समय
(3)	वन रेंज का नाम
(4) एवं (5)	मुखबिर द्वारा सूचित किए गए अनुसार अभियुक्त का नाम
(6)	अभियुक्त का नाम
(7)	पशु वस्तुओं/वन ट्रॉफी आदि का विवरण
(8) एवं (9)	पहले अभियुक्त का नाम और शारीरिक विवरण
(10) एवं (11)	दूसरे अभियुक्त का नाम और शारीरिक विवरण
(12)	स्थान जहां लेनदेन होना है
(13)	लेनदेन का समय
(14)	वन्यजीव (कोष्ठक में प्रजाति नाम के साथ) का नाम
(15), (16), (17) एवं (18)	वन्यजीव का नाम
(19) एवं (20)	अभियुक्त का नाम
(21)	स्थान जहां लेनदेन होना है
(22)	एफआरओ का नाम
(23) एवं (24)	स्वतंत्र गवाहों के नाम
(25)	एफआरओ का नाम
(26)	वन रेंज का नाम
(27)	स्थान जहां लेनदेन होना है
(28)	विभागीय वाहन का रजिस्ट्रेशन नं.
(29)	टीम का कार्यालय छोड़ने का समय
(30)	जब्ती की तारीख
(31)	स्थान जहां लेनदेन होना है
(32) एवं (33)	टीम द्वारा स्थान पर पहुंचने का समय और तारीख
(34)	स्थान जहां लेनदेन होना है
(35)	स्थान पर अभियुक्त के आने का समय
(36) एवं (37)	व्यक्तियों का शारीरिक विवरण (9) एवं (11) की पुनरावृत्ति करें

(39)	स्थान जहां लेनदेन होना है
(40)	कोई संरचना जैसे मंदिर अथवा बस स्टॉप अथवा चाय की दुकान आदि
(41)	एफआरओ का नाम
(42)	(40) को दोहराएं
(43)	थैले का रंग
(44)	शारीरिक विवरण {(9) को दोहराएं}
(45)	पहले अभियुक्त का नाम
(46)	पहले अभियुक्त का पता
(47)	शारीरिक विवरण {(11) को दोहराएं}
(48)	दूसरे अभियुक्त का नाम
(49)	दूसरे अभियुक्त का पता
(50)	एफआरओ का नाम
(51)	पहले अभियुक्त का नाम
(52)	वस्तुओं का नाम
(54)	थैले का रंग
(55) एवं (56)	दूसरे अभियुक्त का नाम
(57) एवं (58)	अभियुक्त का नाम
(59)	उस व्यक्ति का नाम जिससे इन व्यक्तियों ने वस्तुएं खरीदी थी
(60)	वस्तुओं का क्रय मूल्य
(61)	स्थान जहां लेन-देन होना है
(62) एवं (64)	खरीददार का नाम
(63)	विक्रय मूल्य
(65), (69),(72),(73),(74),(75),(76)	अभियुक्त का नाम
(66), (67) एवं (68)	उस व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर जिससे अभियुक्त ने वस्तुएं खरीदी थी
(70) एवं (71)	उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर जिसे ये वस्तुएं बेचने वाले थे
(77),(78),(81),(82),(83)	पहले अभियुक्त का नाम, मोबाइल नंबर, हैंडसेट का विवरण और आईएमईआई नंबर

(79),(80),(84),(85), (86)	दूसरे अभियुक्त का नाम, मोबाइल नंबर, हैंडसेट का विवरण ओर आईएमईआई नंबर
(87)	अभियुक्त का नाम
(88) एवं (89)	वस्तुएं बेचने वाले का नाम और मोबाइल नंबर
(90) एवं (91)	वस्तुएं खरीदने वाले का नाम और मोबाइल नंबर
(92)	जानवर का नाम
(93), (94), (95) एवं (96)	अभियुक्त का नाम
(97) एवं (98)	जब्ती कार्यवाहियों के पूरा होने की तारीख और समय
(99)	गार्ड अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसने जब्ती ज्ञापन लिखा

अनुलग्नक-V गिरफ्तारी सह व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन		
1.	वन रेंज और डिजीवन का नाम	
2.	मामला संख्या और विधि की धाराएं	
3.	गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, माता-पिता और आयु	
4.	गिरफ्तार अभियुक्त का वर्तमान और स्थायी पता	
5.	गिरफ्तार अभियुक्त के पहचान चिन्ह	
6.	गिरफ्तारी के कारण और क्या बिना वारंट के अथवा वारंट के साथ की गई है	
7.	गिरपफ्तारी का स्थान और समय	
8.	दस्तावेज/वस्तुएं जो अभियुक्त के पास से पाए गए थे	
9.	स्वतंत्र गवाह (गवाहों) का नाम और पता, जो गिरफ्तारी के समय पर उपस्थित था	
10.	अधिकारी का नाम और पदनाम जिसने गिरफ्तार किया	
11.	गिरपफ्तार व्यक्ति द्वारा घोषित किए गए अनुसार संबंधी/मित्र का नाम जिसे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई	
12.	स्थानीय पुलिस स्टेशन जहां गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना है अथवा अभियुक्त की हिरासत के अन्य स्थान का नाम	
13.	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर लगी चोटों, यदि कोई हों, सहित अन्य कोई विवरण	
14.	गिरफ्तार अभियुक्त के हस्ताक्षर	
15.	स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर	
16.	अधिकारी के हस्ताक्षर, जिसने गिरफ्तारी की	

अनुलग्नक-VI

वन्यजीव अपराधी की वैयक्तिक फाइल (डोसियर)

1.	**नाम, पिता का नाम और पता**	
2.	**उपनाम**	
3.	**व्यक्तिगत विवरण**	
	जन्म तिथि/आयु	
	जन्म स्थान	
	लिंग	
	बाल	
	आखों का रंग	
	रुप रंग	
	ऊंचाई	
	वजन	
	डील-डौल	
	नागरिकता	
	भाषा	
	पहचान चिन्ह	

4.	**महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचना**	
	टेलीफोन, मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
	पासपोर्ट नंबर	
	बैंक खाता विवरण	
	आधार कार्ड सं./भारतीय मतदाता पहचान पत्र	
5.	**वर्तमान/पूर्व व्यवसाय और स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची**	
6.	**सहयोगी/संबंधी और उनके व्यवसाय**	
7.	**अपराध वृत्त और उसके विरुद्ध वन्यजीव मामले (मामलों) का संक्षिप्त विवरण**	
8.	**अपराध की कार्यप्रणाली**	
9.	**उसकी गतिविधियों का क्षेत्र**	
10.	**पूर्व दोषमुक्तियां/दोषसिद्धियां**	
11.	**विवरण, यदि घोषित अपराधी है**	
12.	**अन्य कोई टिप्पणियां**	

अनुलग्नक-VII

अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देश

1. गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कार्मिकों को अपने पदनामों वाले सही, दृश्य और स्पष्ट पहचान और नाम के बिल्ले पहनने चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों के विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए जिन्होंने गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ का संचालन किया है।

2. गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय पर गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य हो अथवा जिस स्थान से गिरफ्तारी की गई है उसका एक सम्मानित व्यक्ति हो। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख शामिल होंगे।

3. जो व्यक्ति गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किया गया है और किसी पुलिस स्टेशन अथवा पूछताछ केन्द्र अथवा अन्य हवालात में रखा गया है, उसे यह हक होगा कि उसके किसी मित्र अथवा संबंधी अथवा उसके जानकार अन्य व्यक्ति अथवा उसके कल्याण में रुची रखने वाले एक व्यक्ति को, जितनी शीघ्र व्यावहारिक हो, सूचित किया जाए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एक विशेष स्थान पर निरुद्ध किया गया है। ऐसा जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन को सत्यापित करने वाला गवाह स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा एक मित्र अथवा संबंधी न हो।

4. जिस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति का निकट मित्र अथवा संबंधी जिला अथवा शहर के बाहर रहता है उसमें गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत के स्थान को गिरफ्तारी के उपरांत 8 से 12 घंटे की अवधि के अंदर टेलीग्राफिक रुप से संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन और जिले के लीगल ऑर्गेनाइजेशन (विधिक सहायता संगठन) के माध्यम से पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही उसे गिरफ्तारी के अधीन रखा जाता है अथवा निरुद्ध किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी अथवा निरोध के बारे में किसी को सूचित करने के अधिकारों की सूची के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

6. व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में निरुद्ध करने के स्थान पर डायरी में प्रविष्टि की जानी चाहिए जिसमें व्यक्ति के निकट मित्र जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है, का नाम और पुलिस पदाधिकारियों जिनकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है, के नाम और विवरण दर्शाया जाएगा।

7. गिरफ्तार व्यक्ति की, जिस मामले में वह ऐसा अनुरोध करता है उसकी गिरफ्तारी के समय पर जांच की जानी चाहिए और उसके शरीर पर मौजूद, बड़ी और छोटी चोटों को, यदि कोई हो, उस समय पर दर्ज किया जाना चाहिए। 'निरीक्षण ज्ञापन' पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

8. गिरफ्तार व्यक्ति संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल पर चिकित्सक द्वारा हिरासत में उसके निरुद्ध के दौरान प्रत्यक 48 घंटे चिकित्सा जांच के अधीन होना चाहिए। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा एक पैनल तैयार करना चाहिए।

9. गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित ऊपर निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की प्रतियां रिकॉर्ड के लिए संबंधित आधिकारिक मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, यद्यपि पूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए।

11. सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष उपलब्ध कराना चाहिए जहां गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान के संबंध में सूचना गिरफ्तार करने के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा भेजी जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष में उसे एक सहज दृश्य नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक-VIII

वन्यजीव अपराध जांच किट

1.	शल्य चिकित्सा दस्ताने	-2 जोड़े
2.	प्लास्टिक पाऊच (सेलोफेन या अमरी)	-4 संख्या
3.	चूड़ीदार ढक्कन वाली शीशी (50 मिली)	-4 संख्या
4.	चूड़ीदार ढ़क्कन वाली शीशी (5 मिली)	-4 संख्या
5.	इंजेक्शन सिरिंज (5 मि.ली.)	-1 संख्या
6.	चिमटी	-2 संख्या
7.	ब्रश	-1 संख्या
8.	ग्लास स्लाईड	-20 संख्या
9.	सिलिका जैल	-20 संख्या
10.	स्लाईड खोल	-4 संख्या
11.	फिल्टर पेपर	-1 संख्या
12.	नापने वाला फीता	-1 संख्या
13.	कैंची	-1 संख्या
14.	आतिशी शीशी (छोटा)	-1 संख्या
15.	सेल फ्लैशलाइट (टार्च)	-1 संख्या
16.	मार्कर	-1 संख्या
17.	नेत्र संरक्षक (गुलाबी/नीला चश्मा) मुखोटा	-1 संख्या
18.	नोट पैड	
19.	पेन/पेंसिल	
20.	पैमाना	
21.	पॉकेट चाकू	
22.	खराब मौसम उपस्कर (बरसाती/छाता)	
23.	जलविहीन हस्त धोवन	
24.	एसएलआर/डिजिटल कैमरा	
25.	रक्त नमूनों के लिए परीक्षण किट	
26.	कैरी बैग (थैला)	

27. फिल्टर के साथ प्रकाश स्रोत
28. अपराध स्थान (संरक्षण) पट्टी

पद चिन्ह एकत्रण किट

29. ट्रेसर 2 सेमी. चौड़े लकड़ी के फ्रेम के साथ 25 सेमी. 20 सेमी. ग्लास प्लास्टिक
30. स्केच पेन -1
31. 2 मी. लंबा नापने वाला फीता
32. प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी)
33. पानी की बोतल
34. लचीला एल्युमिनियम फीता -1 लीटर
35. सेंसस बैग मदों को रखने के लिए (19-20)

अनुलग्नक - VIIIक

वन्यजीव अपराध स्थल जांच के मूल तत्व

वन्यजीव अपराध स्थल जांच के मूल तत्व हैं :-

1. स्थल पर पहुंचना
2. किन्हीं सुरक्षा सरोकारों को नोट करना और हल करना
3. आरंभिक स्थल परिमाप स्थापित करना
4. स्थल सुरक्षा
5. स्थल आरंभिक फोटोग्राफी
6. आरंभिक वॉक-थ्रू
7. कमजोर साक्ष्य का परिरक्षण
8. उपकरण अथवा अतिरिक्त कार्मिक आवश्यकताओं का पुन: अवलोकन
9. स्थल के अन्य संसाधकों (प्रोसेसर्स) की ब्रीफ करना
10. स्थल की तलाशी (यह प्रक्रिया स्थल पर कार्रवाई के दौरान पूरे समय चलती रहती है)
11. स्थल पर साक्ष्य मदों का पता लगाने के लिए बारीकी से अवलोकन
12. साक्ष्य स्थल पर निशान लगाना
13. साक्ष्य स्थान सूची
14. अपराध स्थल की फोटोग्राफी
15. सामान्य सीएसआई फोटोग्राफी मार्गनिर्देश
16. साक्ष्य मदों का स्थान का मानचित्रण
17. अपराध स्थल का रेखाचित्र
18. साक्ष्य मदों पर चिन्ह लगाना
19. साक्ष्यों मदों को पैक करना और सील करना
20. साक्ष्य पैकेजों को सील करने की पद्धतियां
21. साक्ष्य मदों और पैकेजों पर टैग लगाना
22. साक्ष्य प्राप्तियां
23. अभिरक्षा रिकॉर्ड की शृंखला
24. साक्ष्य प्रस्तुत करने का फॉर्म
25. क्राइम सीन इन्वेस्टीगेशन

26. विशेष साक्ष्य एकत्रण/पैकेजिंग मुद्दे

- किटाणुनाशक और विष
- रक्त और ऊत्तक
- आग्नेयास्त्र
- गोली और कारतूस के खोल
- औजार चिन्ह
- फ्रिक्शन रिज
- फुटवेयर और टायर ट्रैक (जूतों और टायरों के निशान)
- अनुरेखण साक्ष्य
- पशु फंदे

वन्यजीव जांच टीम और प्रत्येक सदस्य की भूमिका

अनुसंधान टीम का लीडर निम्न कार्य करेगा :-

1. सबसे पहले स्थान पर अधिकारियों से संपर्क करना
2. सुरक्षा सरोकारों के लिए क्षेत्र की समीक्षा करना और शेष टीम को सूचित करना
3. आरंभिक स्थान वाक-थ्रू (साक्ष्य एकत्र करने वाले के साथ) का संचालन करना और शेष टीम को परिणाम से अवगत करना
4. स्थल की परिधि का निर्धारण
5. मौसम स्थितियों और दिन के समय का जायजा लेना (स्थान को सुरक्षित करना और दिन के प्रकाश अथवा बेहतर मौसम के लिए प्रतीक्षा करना बेहतर हो सकता है)
6. व्यक्तियों की संख्या/आवश्यक योग्यताएं (जैसे कि ड्राइवर) और अतिरिक्त उपकरण आवश्यकताएं निर्धारित करना
7. टीम सदस्यों को सीएसआई कार्य देना
8. नए विमोचन (न्यू रिलीज) के लिए संपर्क का बिन्दु होना
9. स्थल की जांच की स्थिति के संबंध में उच्च अधिकारियों को नवीनतम जानकारी देना
10. स्थल पर आने और स्थल से जाने वालों को मॉनीटर करना और उनका रिकॉर्ड रखना
11. सभी सीएसआई कार्यों के पूर्ण होने तक निरीक्षण करना
12. यह निर्धारित करना कि सभी सीएसआई कार्य कब पूरे हो गए

साक्ष्य एकत्र करने वाला

1. वाक-थ्रू के दौरान टीम लीडर के साथ जाना
2. वाक-थ्रू और स्थल की तलाशी के दौरान देखे गए साक्ष्य मदों के पास झंडे लगाना
3. साक्ष्य मदों के पास संख्या डले हुए साक्ष्य लोकेशन टैग लगाना
4. पाए गए साक्ष्यों की सूची तैयार करना
5. सभी साक्ष्य मदों को एकत्र करना
6. सभी एकत्रित मदों को चिन्हित, पैक करना और टैग लगाना

स्थल फोटोग्राफर

स्थल फोटोग्राफर निम्न कार्य करेगा :-

1. स्थल की परिधि के बाहर से आरंभ में स्थल के फोटो लेना
2. आरंभिक वाक-थ्रू में सारे स्थल के फोटो लेना ("पाए गए अनुसार" स्थान को दर्शाते हुए)
3. सभी साक्ष्य मदों के स्थल की परिधि के अंदर संपूर्ण, मध्य-रेंज और समीप से फोटो लेना
4. वरीयता से शरीर संरेखण के सीधे कोणों पर, शिकार के फोटो लेना
5. सभी देखे गए छाप चिन्हों (पद चिन्हों और टायर चिन्हों)
6. सभी देखे गए साक्ष्य मदों के पास से फोटो लेना

स्थल का रेखाचित्र बनाने वाला

स्थल का रेखाचित्र बनाने वाला निम्न कार्य करेगा :-

1. स्थल पर कच्चा दृश्य देखाचित्र बनाना
2. यदि ज्ञात है तो रेखाचित्र पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा दर्शाना
3. रेखाचित्र पर शिकार (शिकारों) की अनुमानित स्थिति दर्शाना
4. रेखाचित्र पर तीन बिन्दु मापों और साक्ष्य मदों के लिए प्रयुक्त सभी निर्धारित संदर्भ बिन्दुओं की अनुमानित स्थिति दर्शाना
5. 'तक - दूरी' मापों के साथ उपयुक्त अनुसार साक्ष्य मदों की सही स्थिति का 'मानचित्र' बनाना
6. न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए एक परिष्कृत रेखाचित्र तैयार करना

अतिरिक्त टीम सदस्य

अतिरिक्त टीम सदस्य निम्न कार्य करेंगे :-

1. स्थान को सुरक्षित करने में सहायता करना
2. साक्ष्य के लिए तलाशी में सहायता करना
3. पाए गए साक्ष्य मदों के पास झंडे लगाना
4. एक माप फीते और माप बिन्दुओं के रुप में स्थान पर 'निर्धारित' अथवा अपेक्षाकृत स्थायी वस्तुओं का प्रयोग करके साक्ष्य मदों के सही स्थान के मानचित्रण में स्थल का रेखाचित्र बनाने वाले की सहायता करना
5. अपराध स्थल निरीक्षण (सीएसआई) का कार्य पूर्ण होने के उपरांत झंडे और स्थल की परिध का एकत्र करना

अनुलग्नक - IX

वन्यजीव अपराधों में विशेषज्ञ की राय के लिए वैज्ञानिक संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	संस्थान का नाम और पता	उपलब्ध सुविधाएं
1.	भारतीय वन्यजीव संस्थान पोस्ट बॉक्स नं. 18, चंद्रबनी देहरादून-248001 ई-मेल : wii@giasd101.net.in फोन : 0135-640112-115 फैक्स : 91-135-640117	सभी पशु प्रजातियों की पहचान, रक्त ऊत्तक, बाल, हड्डियों, नाखूनों, पंजों, दांतों, शरीर के अन्य अंगों और व्युत्पन्नों की पहचान
2.	भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण प्राणि विज्ञान भवन, एम-ब्लॉक न्यू अलिपोर, कोलकाता-70005 निदेशक 033-24986820 फैक्स - 033-24006893 फैक्स कार्यालय प्रमुख : 033-24008595 ईपीबीएएक्स : 033-24006892/0901/6062/0646	पशु की सभी प्रजातियों की पहचान
3.	भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण सी.जी.ओ कॉम्प्लैक्स, 3सरी एम.एस.ओ बिल्डिंग (एफ 5वां एवं 6ठा तल), डी.एफ. ब्लॉक सैक्टर-I, साल्टलेक सिटी कोलकाता-700064 फोन : 033-23344963 (निदेशक) 033-23218991, 23218992 फैक्स : 033-23346040, 23215631	पादप प्रजातियों की पहचान
4.	कोशकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र उप्पल रोड, हब्सीगुडा हैदराबाद-500007, आंध्र प्रदेश टेलीफोन : 040-27160222-31 040-27160232-41 फैक्स : 040-27160591, 27160311	डी.एन.ए प्रोफाइल बनाना

5.	काष्ठ संपत्ति और प्रयोग डिवीजन काष्ठ विज्ञान एवं तकनीक संस्थान, मल्लेस्वरम बैंगलौर-560003 टेली : 080-22190100, 080-22190200 फैक्स : 080-23340529	इमारती लकड़ी और काष्ठ संपत्तियों की पहचान
6.	गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पुलिस भवन के पास, सैक्टर-18-ए गांधी नगर, गुजरात फोन : 079-2325650, 079-2325649	वन्यजीव फॉरेंसिक सहित फॉरेंसिक विज्ञान पर विभिन्न क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम
7.	राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाएं (एस.एफ.एस.एल.) पारंपरिक अपराधों में नमूनों की फॉरेंसिक जांचों के लिए संबंधित गृह विभागों के अधीन देश के लगभग सभी राज्यों में उनकी एसएफएसएल इन प्रयोगशालाओं से भी वन्यजीव फॉरेंसिक परीक्षणों के लिए संपर्क किया जा सकता है।	विषविज्ञान परीक्षण। उपलब्ध अन्य सुविधाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं, अतः, इसकी स्थानीय स्तर पर जांच की जा सकती है।

अनुलग्नक-X

न्यायलयीय विज्ञान प्रयोगशाला/संस्थान के लिए अग्रेषण टिप्पणी

(परीक्षण के लिए प्रदर्शों के साथ प्रस्तुत की जाए)

मामला संख्या ______________________ रेंज/डिवीजन ______________________

विधि की धराएं ______________________ जिला

____

राज्य

____

_____

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य : आरोप की प्रकृति, संक्षिप्त पूर्ववत, अन्य प्रासंगिक विवरणों सहित

2. परीक्षण के लिए संलग्न प्रदर्शों/नमूनों की सूची

क्रम संख्या	प्रदर्शों का विवरण	कैसे, कब और किसके द्वारा पाए गए	प्रदर्शों का स्रोत	टिप्पणी

3. किए जाने वाले परीक्षणों की प्रकृति

ज्ञापन सं. ________________________________ दिनांक : ____________________

निदेशक को अग्रसित ____

फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ____

हस्ताक्षर ____

अग्रेषण अधिकारी का नाम और पदनाम ____

अग्रेषण न्यायालय का नाम, यदि लागू हो ____

प्राप्ति (रसीद)

संख्या ____ दिनांक ______________________________

____फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

संदर्भ रेंज/डिवीजन

मामला सं. जिला

दिनांक राज्य

विधि की धाराओं के अधीन

यह उपरोक्त निर्दिष्ट मामले के संबंध ____

____

____

की रसीद की पावती है।

निदेशक

ऊत्तक/त्वचा/रक्त/स्कैट नमूनों का एकत्रण

1. **मांस/त्वचा का टुकड़ा/स्कैट को एकत्र करने के लिए** **क.** एक चूड़ीदार ढ़क्कन वाली **छोटी** शीशी का प्रयोग करें **नोट** : 100 मि.ली.ग्राम क्षमतासे अधिक क्षमता वाली शीशी का **उपयोग न** करें।	शीशी
ख.1. सिलिका जैल से शीशी को लगभग आधा करें (जाली आकार 5-8) अथवा **ख.2.** 70% अथवा पूर्ण एथनॉल से कंटेनर का 2/3 आयतन भरें (इथईल एक्लोहल जो रासायनिक रुप से $C^{2}H^{5}OH$) **नोट :** 25 मि.ली. डिस्टिल/मिनरल अथवा बिस्लेरी जल के साथ 75 मि.ली. एथनॉल को मिश्रित करके 70% एथनॉल तैयार किया जा सकता है। एथनॉल में कई दिनों के लिए कमरे के तापमान पर नमूने को संग्रह किया जा सकता है।	ढक्कन सिलिका जैल या एथनॉल
ग. सिलिका जैल के ऊपर एक गोलाकार कागज का टुकड़ा रखें **(एथनॉल के कुछ न रखें)**	**केवल सिलिका जैल के मामले में** फिल्टर पेपर सिलिका जैल
घ. फिल्टर पेपर के ऊपर छोटा मांस का टुकड़ा (10-20 ग्राम)/त्वचा का टुकड़ा (3 X 3 सेमी.) ताजा स्कैट (15-20 ग्राम) रखें (अथवा एथनॉल में नमूने को सीधे डुबाएं) और ढक्कन से एयरटाइट करें। कृपया शीशी पर नमूने की प्रजाति और एकत्र करने का स्थान और तारीख लिखें। **नोट :** एथनॉल के मामले में परिरक्षण रिसाव से बचने के लिए ढ़क्कन उचित रुप से सील होना चाहिए।	मांस/त्वचा का टुकड़ा/स्कैट फिल्टर पेपर सिलिका जैल नमूने का विवरण अर्थात प्रजाति/ नमूना एकत्र करने की तारीख और स्थान
2. **रक्त को एकत्र करने के लिए**	
क. लैब को सुपुर्द करने तक वैक्यूटेनर ट्यूबों में (नियमित प्रयोजनों के लिए सामान्यतः तौर पर रक्त एकत्र किया जा सकता है) और 4 सें.ग्रे. (रेफ्रीजरेटर के निचले कंपार्टमेंट) पर संग्रह किया जा सकता है।	
ख. ग्लास स्लाइडों पर (स्लाइड पर रक्त का मोटा लेप लगाएं)	

वन्यजीव अपराध में शिकायत (वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन)		
1.	रेंज कार्यालय/डिवीजन का नाम	
2.	डब्ल्यूएलओआर की संख्या और तारीख	
3.	अपराध का स्थान और तारीख	
4.	विधि की धाराएं	
5.	जब्त की गई संपत्ति का विवरण	
6.	जब्त संपत्तियां किसकी अभिरक्षा में पड़ी हुई हैं, यदि न्यायालय में जमा की गई हैं तो संपत्ति सूची संख्या	
7.	जब्त किए गए और तदुपरांत न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्वासित, जीवित नमूने, यदि कोई हों	
8.	जब्त की गई और तदुपरांत न्यायालय के आदेश के अनुसार नष्ट की गई नश्वर अथवा खतरनाक सामग्रियों के विवरण	
9.	जब्त किए गए और जांच के लिए पुलिस को सौंपे गए, आग्नेयास्त्र, यदि कोई हों, के विवरण और पुलिस एफआईआर की संख्या	
10.	क्या नमूने राय के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण अथवा अन्य किन्हीं वैज्ञानिक विशेषज्ञों को भेजे गए थे और प्राप्त राय के विवरण	
11.	अपराध रिपोर्ट फाइल करने वाले अधिकारी और कार्यालय का पता	
12.	शिकायत फाइल करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय पता	

13.	अभियुक्त का नाम और पता जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, का नाम और पता	
i.	हिरासत में अभियुक्त	
ii.	जमानत पर अभियुक्त	
iii.	गिरफ्तारी नहीं किया गया/भगौड़ा अभियुक्त	
iv.	अभियुक्त जो आदतन/बार-बार अपराध करने वाले हैं, के पूर्व मामलों के विवरण	
14.	गवाहों के नाम और पते और प्रत्येक गवाह के साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने वाले तथ्य	
15.	शिकायत के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, यदि कोई हों, की सूची	
16.	अपराधों की प्रकृति और मामले के तथ्य/प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप	

प्रार्थना :

शिकायतकर्ता का नाम एवं पदनाम
कार्यालय की मोहर

सेवा में
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जेएमएफसी
(पता)

अनुलग्नक-XII

वन्यजीव अपराध जांच प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट

देश की जैवविविधता को बचाने, नियंत्रित और संरक्षित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 बनाया गया था। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में लागू है।

(क)

अनभिज्ञता

उपेक्षा

जानबूझकर
कार्रवाई

वन्यजीव अपराध

एक अपराध करने का कोई प्रयास

वास्तव में अपराध किया गया

अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की निम्न धाराओं के अधीन एक अथवा एक से अधिक अपराध

1. 17क, 27, 29, 30, 31, 32, 33क और 35 - 3 वर्ष तक
2. 2. 9, 39, 44, 48क और 49ख - 3-7 वर्ष

(ख)

व.जी.सं. अधिनियम की धारा 50(1) के अधीन व.जी. अपराधों के निवारण एवं खोज करने के लिए

- निदेशक, डब्ल्यूएलपी अथवा प्राधिकृत अधिकारी
- सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू अथवा प्राधिकृत अधिकारी
- कोई वन अधिकारी
- पुलिस अधिकारी, जो एसआई के पद से नीचे न हो

(ग)

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त की गई वस्तुएं राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(4) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है।

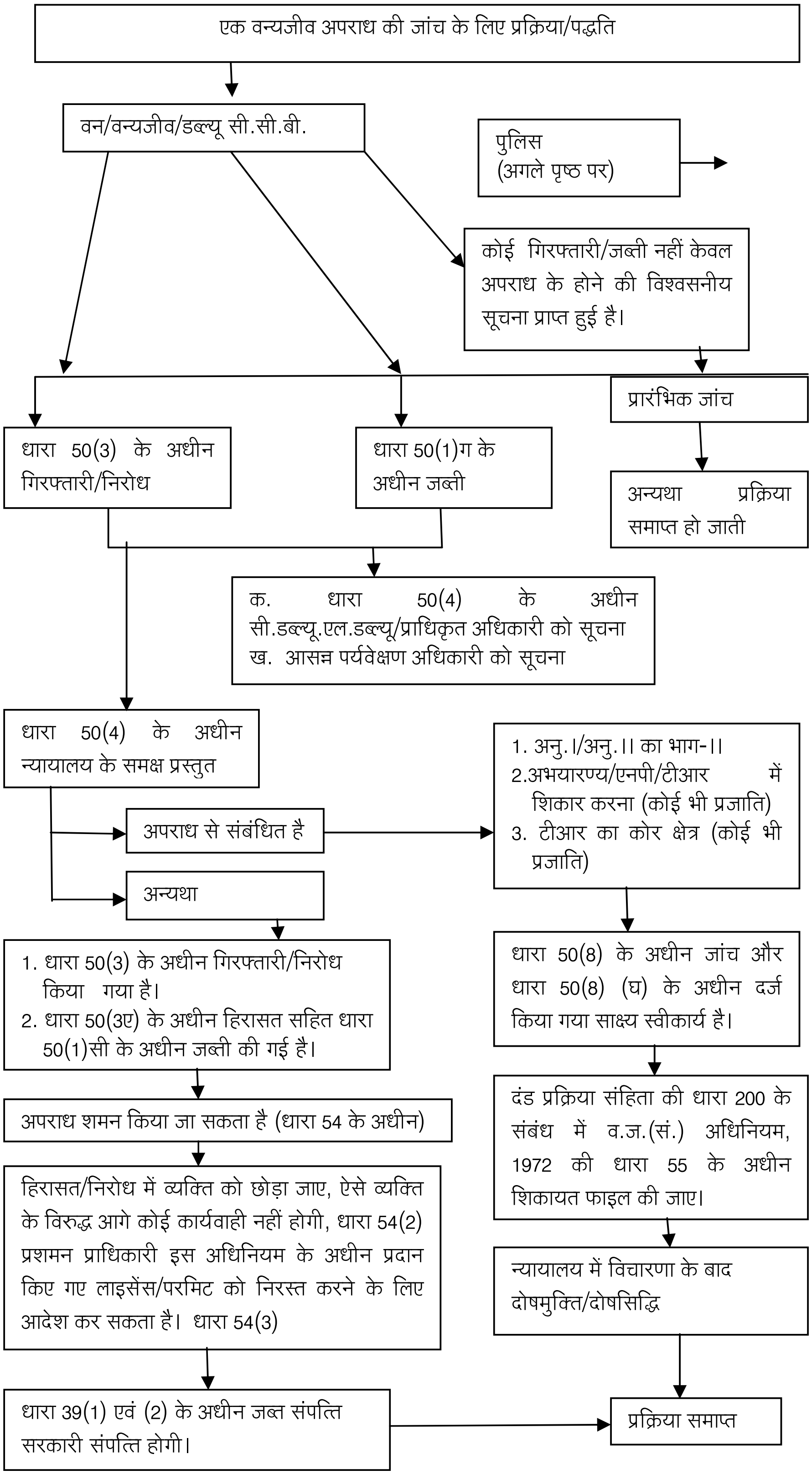

पुलिस जांच प्रक्रिया/पद्धति दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची-। के भाग-।। के अनुसार वन्यजीव अपराध संज्ञेय है।

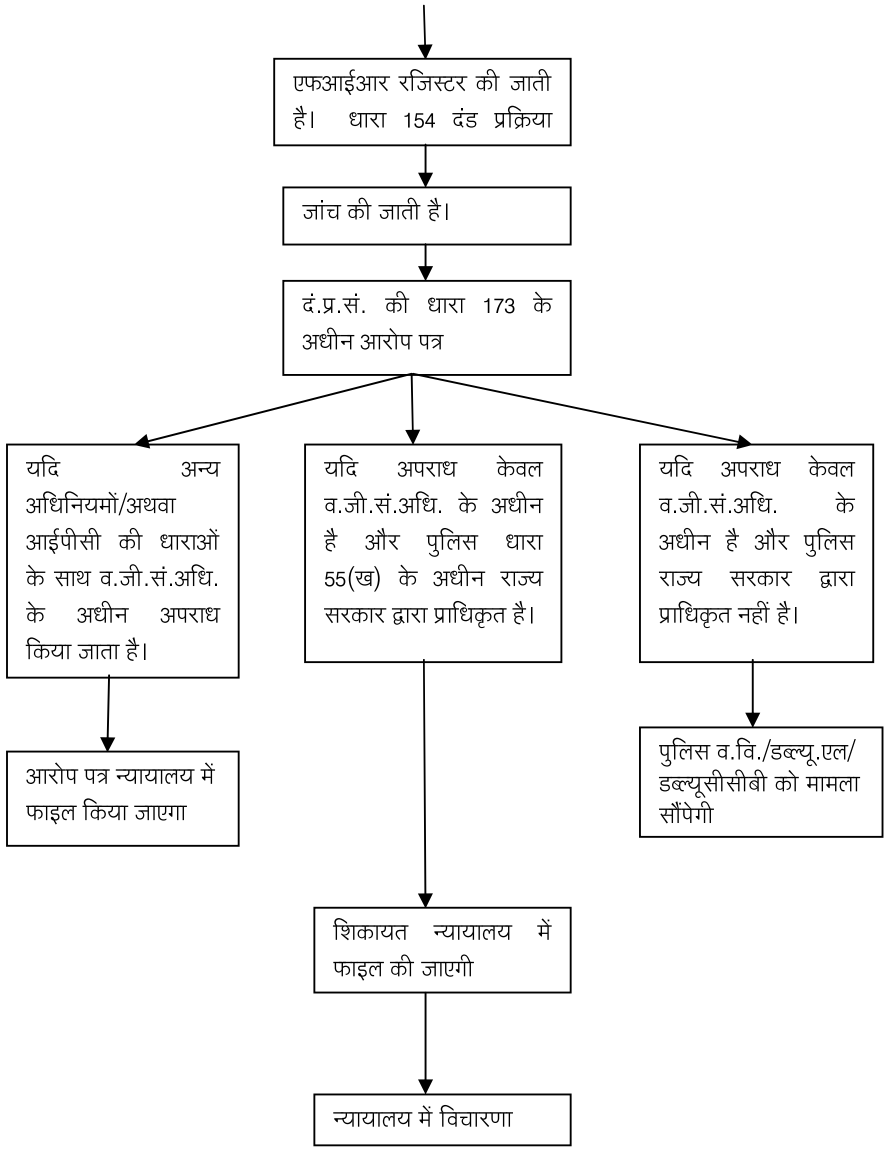
एफआईआर रजिस्टर की जाती है। धारा 154 दंड प्रक्रिया
जांच की जाती है।
दं.प्र.सं. की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र
यदि अन्य अधिनियमों/अथवा आईपीसी की धाराओं के साथ व.जी.सं.अधि. के अधीन अपराध किया जाता है।
यदि अपराध केवल व.जी.सं.अधि. के अधीन है और पुलिस धारा 55(ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है।
यदि अपराध केवल व.जी.सं.अधि. के अधीन है और पुलिस राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं है।
आरोप पत्र न्यायालय में फाइल किया जाएगा
पुलिस व.वि./डब्ल्यू.एल/ डब्ल्यूसीसीबी को मामला सौंपेगी
शिकायत न्यायालय में फाइल की जाएगी
न्यायालय में विचारणा

अनुलग्नक - XIII
न्यायालय डायरी

(जांच अधिकारी अथवा न्यायालय में विचारणा पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त अन्य किसी मामला अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाए)

1. न्यायालय का नाम ______________________ स्थान ______________

2. वन रेंज/डिविजन ______________________ जिला __________ राज्य ________

3. न्यायालय मामला सं. __________ शिकायत सं. ____________ विचारण सं. ___________

4. शिकायत फाइल करने की तारीख ______________ वन विभाग न्यायालय डायरी सं. ________

5. व.जी. सं. अधिनियम के अधीन लगाई गई धाराएं ______________________________

6. सुनवाई की पिछली तारीख ______________ सुनवाई की वर्तमान तारीख ____________ अगली नियत तारीख __________________

7. अभियुक्त (अभियुक्तों) का नाम (के नाम) एवं पता (पते) ______________________________

8. पुत्र/पुत्री/पत्नी ____

9. पता ________________________________ पिन कोड ____________________

10. न्यायालय में अभियोजन की स्थिति (सही का निशान लगाएं)

विचारणा अवस्था :	सम्मन अवस्था	☐	जमानत अवस्था	☐	आरोप-पूर्व	☐
आरोप अवस्था :	दोष अभिवचन	☐	आरोप उपरांत	☐	अभियोजन साक्ष्य	☐
	बचाव गवाही	☐	बयान	☐	बहस	☐

11. विचारणा के दौरान गवाही का कार्य :

गवाही का प्रकार	गवाहों के नाम	सम्मन किया गया अथवा पेश हुआ	पूर्णत: समर्थन किया	आंशिक रुप से समर्थन किया	विरोधी हो गया	यदि पूछताछ नहीं की गई तो कारण बताएं
चश्मदीद						
तथ्यात्मक						
तकनीकी						
सरकारी						
जब्ती						
बचाव						
फॉरेंसिक						
औपचारिक						

12. कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण; जिसमें गवाह के विरोधी हो जाने और स्थगन, यदि कोई हो, के कारण शामिल है।

13. यदि मामले को कोई क्षति हुई है तो संचालन करने वाले लोक अभियोजक द्वारा सुझाए गए उपाय :

14. पैरवी (मामला) अधिकारी का नाम एवं पदनाम ____________________ रेंज/डिवीजन ________

15. संचालन करने वाले अभियोजक का नाम एवं पदनाम ____________________ न्यायालय/जिला _____

16. डीसीएफ/डीएफओ की टिप्पणियां ____________________

हस्ताक्षर
जांच अधिकारी/मामला अधिकारी

अनुलग्नक - XIV

वन्यजीव अपराध मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय

क्रम सं.	मामले और न्यायालय का नाम	के अधीन किया गया अपराध	समस्या (प्रोपोजिशन) जिस पर बहस की गई
1.	बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान और अन्य (1988) 4 एससीसी 655- उच्चतम न्यायालय	व.जी.सं. अधि. की धारा 9(1),51,55, भा.द.सं. की धारा 429ण एवं दं.प्र.सं. की धारा 210 और 482	व.सं. अधि. के उद्दश्यों और अंतर्निहित अधिकारिता पर चर्चा की गई। अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केवल धारा 55 में उल्लिखित अधिकारी की शिकायत पर किसी न्यायालय द्वारा लिया हो सकता है।
2.	मोतीलाल बनाम सी.बी.आई और अन्य (2002) 4 एससीसी 713- उच्चतम न्यायालय	व.जी.सं.अधि. की धारा 50, 51, 54 और 55, दं.प्र.सं. की धारा 4 (42)	अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध की सीबीआई द्वारा जांच की जा सकती है। व.जी.सं.अधि. अपने आप में एक पूर्ण संहिता नहीं है।
3.	भारतीय हस्तशिल्प इंपोरियम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2003) 7 एससीसी 589-उच्चतम न्यायालय	भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 14, 19(1) (छ) एवं 19(1)6, व.जी.सं.अधि. की धारा 39,4,49-ग	व.जी.सं.अधि. के अधीन हाथीदांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध को उचित ठहराया गया। व्यापार जो पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक है उन्हें नियंत्रित अथवा पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसलिए नियंत्रण में प्रतिबंध शामिल है। व्यापारी अपने आप में एक वर्ग हैं। ऐसी आपराधिक विचारणा के अभाव में और अपराध किया गया है, पाया जाने में, धारा 39 का कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। मामले के उस विचार से यह स्पष्ट है कि वहां उन संदर्भों में संपत्तियां सरकार में निहित नहीं हैं। अधिनियम के आशय और उद्देश्य को उसके पूर्ण प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।
4.	बलराम कुमारावत बनाम भारत संघ और अन्य (2003) 7 एससीसी 628-उच्चतम न्यायालय	व.जी.सं.अधि. की धारा 49-ग(7)	हाथीदांत के व्यापार पर प्रतिबंध शब्दों के प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता।

5.	संसार चंद ब. राजस्थान राज्य (2010)10 एससीसी 604-संसार चंद ब. राजस्थान राज्य (2010) 10, एससीसी 604-उच्चतम न्यायालय	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 48क और 51क(छ),व.जी.सं.अधि. की धारा 9,49,50 और 51	पारिस्थितिक श्रृंखला और संतुलन - समाज के लिए वन्यजीव संरक्षण का महत्व भारत के वन्यजीव को संरक्षित करने के लिए प्रयास करने और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में अतिरिक्त न्यायिक अपराध स्वीकरण की रिकॉर्ड में अन्य सामग्री से पुष्टि की गई। अत: दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं अन्य बनाम एवं जे.के. जॉनसन एवं अन्य (उच्चतम न्यायालय) में सिविल अपील सं.2534/2011)	व.सं.अधि. की धारा 54,51(2),39(1)(घ)	अपराध के प्रशमन का प्रभाव स्वयं कानून में पाया जाना है। धारा 54(2) प्रावधान करती है कि सक्षम अधिकारी को धन का भुगतान किए जाने के बाद संदिग्ध व्यक्ति को, यदि हिरासत में है, छोड़ा जाएगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपराध के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं जाएगी। धारा 54 की उप-धारा (2) के संदर्भ में इसलिए, अपराध के प्रशमन पर, संदिग्ध व्यक्ति आपराधिक अभियोजन, और अपराध के संबंध में आगे कार्यवाहियों के अधीन होने से सुरक्षित हो जाता है। केवल संदेह अथवा अभियोग पर कार्यपालक प्राधिकारी को जब्ती की कोई शक्ति प्रदान करना कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित करना हो सकता है। ऐसी शक्ति को कानून में किसी स्पष्ट प्रावधान के बिना उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विश्वास करके सहजता से नहीं पढ़ा जा सकता है। अपराध को करने के लिए प्रयुक्त जब्त संपत्ति के धारा 39(1)(घ) के अधीन राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की संपत्ति होने के लिए, हमारे विचार में, अधिनियम के विरुद्ध अपराध को किसी आधिकारिक सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रुप से

			अभिनिश्चित और न्याय निर्णीत किया जाना चाहिए।
7.	म.प्र. राज्य बनाम मधुकर राव, जे.टी.2008 (1) एससी 364- उच्चतम न्यायालय	धारा 39	केवल जब्ती और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अभियोगों/आरोपों के आधार पर अधिनियम की धारा 39(1) (घ) को लागू करने का कोई प्रयास उसे संवैधानिक प्रावधानों के साथ विरोध में लाएगा और उसे असंवैधानिक और अवैध करेगा।
8.	मुमताज बनाम उ.प्र. राज्य 2000 क्रि.एलजे4497 (पैरा 5 से 7 तक प्रासंगिक है) इलाहाबाद उच्च न्यायालय	व.सं. अधिनियम की 2 धाराएं 49 (ख) और 51	वन्य पशुओं की खालों के व्यापार में सलग्न पाया गया अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। समानता का आधार जमानत के लिए एक बाध्यकारी कारण नहीं है।
9.	शशि सिंह बनाम हरियाणा राज्य और मंसूर अली खां पटौदी बनाम हरियाणा राज्य 2006(3) आरसीआर (अपराधिक) 624-पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	व.स. अधिनियम की धाराएं 9,39,5057	लुप्त होने के कगार पर, एक असहाय पशु की जान लेना, जिसका शिकार करना अधिनियम की अनुसूची-I के साथ धारा 9 द्वारा विशेष रुप से प्रतिबंधित है, याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया इतना गंभीर और जघन्य अपराध है कि उनको अग्रिम जमानत देने के लिए मना करता है।
10.	वन रेंज अधिकारी चुंगथारा-II रेंज बनाम अबुबकर और अन्य 1989 अ.का.नि.2003 केरल उच्च न्यायालय	व.सं. अधि. की धाराएं 9,55	जंगल एक क्षेत्र है जहां चोरी से शिकार करने वालों के छुपकर किए जाने वाले जोखिम भरे कार्यों को छोड़कर मानव गतिविधियां बहुत कम होती है। वन और वन्यजीवों पर हमला करने वाले सामान्यत: सावधानी बरतते हैं कि उनकी चोरी से शिकार करने की तकनीकों पर वन्य पशुओं सहित अन्य का ध्यान न जाए। वे ऐसी तकनीकें अपनाते हैं कि उनके आवागमन का पता न चले। अत: वनों और वन्यजीवों से संबंधित अपराध के सबूत में स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्टि के नियम पर जोर देना आडंबर युक्त होगा। एक नया कानून लाने और वन्यजीव के (संरक्षण) में संसद वन्यजीव में जो थोड़ा बहुत बच गया है उसके संरक्षण की प्रेरणा से प्रेरित थी।
11.	अब्दुल कादर बनाम गुजरात सरकार एससीआर 1635/2010 गुजरात उच्च न्यायालय	व.सं. अधि.1972 की धारा 2 (16), 12 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 वं 51 (क) (छ)	प्रत्येक पक्षी/जानवर (विदेशी पक्षी/भारतीय प्रजातियां) का खुले आसमान के तले अथवा हवा में उड़ने का एक मौलिक अधिकार है।

12.	मामला सं.5093 (ए)/2009 उ.प्र. सरकार बनाम श्रीमती दलीपो - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी (उ.प्र.)	व.सं. अधि. 1972 की धाराएं 2/9/39/49/49ख/ 52/51क	संस्वीकृत दोषसिद्धि परंतु न्यायालय द्वारा दंड का समायोजन का सिद्धांत/प्रावधान को स्वीकार किया गया।
13.	राजस्थान सरकार बनाम जुहरु/रमजान एवं अन्य मामला सं.23/318/2006 अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर, राजस्थान	व.सं.अधि. 1972 की धाराएं 9,27,31,39,44, 48क,49ख, 52	अभियुक्त दोषी सिद्ध किए गए।
14.	राजस्थान सरकार बनाम जुहरु मनफूल एवं अन्य- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर, राजस्थान	व.सं.अधि. 1972 की धाराएं 27,31,9,39, 48क,49ख,51	अभियुक्त व्यक्ति इस मामले में दोषी पाए गए और आदतन अपराधियों को न्यायालय द्वारा कठोर दंड दिया गया।
15.	राजस्थान सरकार बनाम जुहरु एवं अन्य-अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर, राजस्थान	व.सं.अधि. 1972 की धाराएं 9,27,31,39,44, 48क,49ख, 51	अभियुक्त व्यक्ति इस मामले में दोषी पाए गए और आदतन अपराधियों को न्यायालय द्वारा कठोर दंड दिया गया।
16.	दिल्ली सरकार बनाम राजीव खन्ना, आपराधिक अपील सं.1380/10 उच्चतम न्यायालय (एस.एल.पी/अ.) सं.77739/2008	दं.प्र.सं. की धारा 482, भा.दं.सं. की धारा 34	कंपनी/कारोबार/फर्म/कार्यालयों आदि से संबंधित प्रतिनिधिक दायित्व एवं उसकी अधिकारिता न्यायोचित सिद्ध हुई।
17.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत कं.लि. एवं अन्य दातार स्विच गियर लि. एवं अन्य - उच्चतम न्यायालय मामला सं.479/2010	दं.प्र.सं. की धारा 482, भा.दं.सं. की धारा 34 दं.प्र.सं. की धारा 192/199 के साथ पढ़ी जाए।	कंपनी/कारोबार/फर्म/कार्यालयों आदि से संबंधित प्रतिनिधिक दायित्व एवं उसकी अधिकारिता न्यायोचित सिद्ध हुई।
18.	महाराजगंज वन विभाग (उ.प्र.) बनाम हर्षध्वज तमांग एवं अन्य - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज (उ.प्र.) मामला सं.7343/2009	व.सं.अधि. 1972 की धाराएं 9/49ख/51	न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त को दोषी सिद्ध करते समय विवक्षित समायोजित सिद्धांत अर्थात जेल में गुजारी गई अवधि को दोषसिद्धि के लिए समायोजित (सेट ऑफ) किया जा सकता है।
19.	संजय गांधी एनीमल केयर सेंटर (शुतुरमुर्गों की जब्ती) रा.रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली एवं अन्य एसीएमएम/एएसजे, दिल्ली तीस हजारी	सीआईटीईएस एवं व.सं. अधि.1972 के प्रावधान जो बिना उचित प्रमाणपत्र के विदेशी पक्षियों/पशुओं को रखना गैरकानूनी होने के रुप में प्रतिबंधित करते हैं।	क्या अभियुक्त को सीआईटीईएस प्रमाणपत्र स्वामित्व के सबूत और क्वेरेन्टाइन अधिकारी से प्रमाणपत्र के बिना विदेशी पक्षियों को आयात करने और रखने का अधिकार है।

20.	क्रिमिनल रिवीजन सं.41/2010/कुटीर उद्योग प्रदर्शनी बनाम, राज्य संघ (डब्ल्यूसीसीबी) - अति. सत्र न्यायाधीश, दिल्ली, तीस हजारी	दं.प्र.सं. की धारा 397, व.सं. अधि. 1972 की धाराएं 40,49,49ख-1,51	अभियुक्त समन करने के विरुद्ध पुनरीक्षण (रिवीजन) के लिए गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निचली अदालत के पास विवेकाधिकार थी। इसलिए पुनरीक्षण के लिए अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी गई।
21.	कामरान सिद्धिकी बनाम भारत संघ - दिल्ली उच्च न्यायालय व.सं.(अ) सं.1038/2012	व.सं.अधि.1972 के (प्रा.) वन्यजीव पशुओं को व्यक्तिगत रुप से रखने के लिए प्रतिबंधित करता है।	व.सं.अधि.1972 के उद्देश्य
22.	पीसीसीएफ (आंध्र प्रदेश सरकार) बनाम जे.के. जानसन एवं अन्य - सिविल अपील सं.2534/2011	व.सं.अधि.1972 की धारा 54(1),54 (अपराधों का शमन)	समपहरण और जब्ती के बीच अंतर पर विचार-विमर्श किया गया।
23.	याकुब अली अनाम उप निदेशक (डब्ल्यूसीसीबी) दिल्ली उच्च न्यायालय व.सं.(अ.) सं.3782/2011	व.सं.अधि.1972 की धारा 43(2)	पारगमन दस्तावेजों पर हाथी का स्वामित्व अवैध प्रस्ताव है।
24.	कालया बावरिया, जुहरु, रमजान, तायिब, हीरालाल आदि बनाम राजस्थान सरकार (अलवर)-(1) एसीजेएम (रायगढ़) आदि (राजस्थान)	व.सं.अधि. 1972 की धाराएं 9,51,49ख, 27,31,3,9,29, 48क,49क	व.सं.अधि. 1972 के प्रावधानों की पवित्रता को बनाए रखा गया। अपील में भी जिला न्यायाधीश, अलवर द्वारा यही निर्णय दिया गया।
25.	संसार चंद बनाम राजस्थान सरकार - उच्चतम न्यायालय अ. अपील सं.2024/2010	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48क/51क(छ) एवं व.सं.अधि.1972 की धाराएं 9/51	ऐसा कोई अंतिम नियम नहीं है कि एक अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है।
26.	राजस्थान सरकार बनाम नारायण एवं अन्य - अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर	व.सं.अधि.1972 की धारा 9,5,39,51,48क, 51,49ख	अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया परंतु कारावास के अवधि को समायोजित किया गया और घोषित किया गया कि कारावास की अवधि व्यतित किया जा चुका है।
27.	भारतीय हस्तशिल्प इंपोरियम एवं अन्य बनाम भारत संघ - उच्चतम न्यायालय सिविल अपील सं.(7534-35/1997/2003)	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 40क/49ग	याचिकाकर्ता जब्ती खिलाफ अपील के लिए गया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जब्ती का समर्थन किया और याचिका खारिज कर दी।
28.	अति. सत्र न्यायाधीश - 01 (मध्य) दिल्ली एससी सं.42/2008 आईडी सं.401 आर 0009792006 राज्य (मार्फत सीबीआई) बनाम संसार चंद और अन्य	व.सं.अधि.1972 की धारा 51, भा.दं.सं. की धारा 120ख और मकोका की धारा 3	शिकायत के मामलों में आगे जांच शिकायत के मामले में अनुपूरक शिकायत फाइल करना और शिकायत के मामलों में मकोका प्रावधानों को लागू होने से संबंधित मुद्दे।

अनुलग्नक-XV

मामला डायरी (केस डायरी)

1. डब्ल्यूएलओआर सं. एवं तारीख :
2. मामला डायरी सं. एवं तारीख :
3. घटना की तारीख, स्थान और समय :
4. शामिल प्रजातियां :
5. जब्त वस्तुओं का विवरण :
6. ज्ञात अभियुक्त का नाम और पता :
7. कानून की धाराएं :
8. जांच अधिकारी का नाम और पदनाम :

जांच के प्रयोजन के लिए दौरे की तारीख, समय और स्थान	संचालित जांच का विस्तृत विवरण

अनुलग्नक-XVI
इतिवृत्त

तारीख के साथ यूनिक क्रम संख्या (रेंज अधिकारी द्वारा दी जाए)-

1. नाम, उपनाम और उर्फ, यदि कोई हो
2. पिता/पति का नाम और उपनाम, यदि कोई हो
3. तारीख के साथ फोटोग्राफ
4. (क) जाति
   (ख) व्यापार अथवा व्यवसाय
5. तारीख के साथ विवरण पंजी

(क) विवरण -

1.	आयु	11.	होंठ
2.	ऊँचाई (सेमी. में)	12.	दांत
3.	डील-डौल	13.	उंगलियां
4.	बाल	14.	ठोडी
5.	भौहें	15.	कान
6.	माथा	16.	चेहरा
7.	आंखें	17.	रंग रूप
8.	दृष्टि	18.	दाढ़ी
9.	नाक	19.	मूंछ
10.	मुंह	20.	पहचान चिन्ह

6. निवास

(क) पता

मकान नं.

गांव

मौहल्ला/सड़क

शहर

पीएस/रेंज

जिला

राज्य

पिन

(ख) महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचना

जन्म तिथि

नागरिकता

टेलीफोन/मोबाइल नं.

ई-मेल पता

पासपोर्ट सं.

बैंक खाता सं.

आधार (यूआईडी नं.)

7. अधिकारियों के नाम जो उसकी पहचान कर सकते हैं/जिन्हें उसके बारे में जानकारी है।

8. पूर्व वृत्त, आपराधिकता को भी दर्शाते हुए

9. (क) कार्य का सामान्य क्षेत्र

(ख) आदतन आश्रय का स्थान

10. कार्य प्रणाली

11. माता-पिता सहित प्रमुख संबंधियों का नाम और पता

संबंधियों के नाम	**माता-पिता**	**संबंध**	**पता**	**आपराधिकता, यदि कोई हो**

12. सहयोगियों और सह अपराधियों के नाम और उनके माता-पिता का नाम एवं पता

संबंधियों और सह-अपराधियों के नाम	**माता-पिता**	**संबंध**	**पता**	**आपराधिकता, यदि कोई हो**

13. (क) दोष सिद्धियां/दोष मुक्ति (मुक्तियां)

1. मामला सं.
2. धारा/अधिनियम
3. पी.एस./वन रेंज
4. जिला
5. राज्य
6. बयान की तारीख तथा न्यायालय का नाम

(ख) जांच/विचारणा के अधीन मामला (मामले)

1. मामला सं.
2. धारा/अधिनियम
3. पी.एस./वन रेंज
4. जिला
5. राज्य
6. मामला (मामलों) की वर्तमान स्थिति

14. संपत्ति (चल एवं अचल)

15. वर्तमान निगरानी की जा रही है (पीएस/रेंज और प्रभारी का नाम)

इतिवृत्तों और व्यक्तिगत फाइलों की सूची भाग-।

1	2	3	4	5	6	7
इतिवृत्तों और व्यक्तिगत फाइल की क्रम सं.	नाम और पिता का नाम	पता	रेंज/डिवीजन में इतिवृत्त खोलने अथवा प्राप्त होने की तारीख	स्थायी निवास का पुलिस स्टेशन	इतिवृत्त और व्यक्तिगत फाइलें दूसरी रेंज/डिवीजन को स्थानांतरित करने की तारीख	इतिवृत्त के स्थानांतरण अथवा नष्ट करने का आदेश करने वाले राजपत्रित अधिकारी के आद्याक्षर और टिप्पणियां

(क्रम संख्यावार अनुरक्षित किया जाए)

इतिवृत्तों और व्यक्तिगत फाइलों की सूची - भाग-।।

1	2	3
नाम एवं पिता का नाम	पता और पुलिस स्टेशन	इतिवृत्तों और व्यक्तिगत फाइल की क्रम संख्या और संक्षेप में उसका इतिहास

अनुलग्नक - XVII

सूचना पत्र

संख्या ________________ तारीख ________________

श्री ________________ उपनाम ________________ पुत्र ________________

जाति ________________ निवासी ________________ पुलिस स्टेशन/रेंज ________________

जिला ________________ राज्य ________________ आयु ________________

अन्य विवरण ________________ के संबंध में सूचना पत्र।

सूचना :-

नोट : इसे सूचना पत्र, उसके क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखने के अनुरोध और उसके ठहरने के दौरान देखी गई असामान्य/प्रासंगिक किसी बात को सूचित करने के लिए कारणों को स्पष्ट करना चाहिए।

तारीख ________________

वन रेंज ________________

वन डिवीजन ________________

रेंज अधिकारी

राज्य ________________

वन्यजीव अपराध जांच

टिप्पणियां

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

वन्यजीव अपराध नियत्रंण ब्यूरो (डब्लयू.सी.सी.बी) देश में वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक बहु-विषयक अधिनस्थ संस्था है। ब्यूरो का अपना मुख्य कार्यलय (मुख्यालय) दिल्ली में है, तथा इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकात्ता, मुम्बई, चेन्नई और जबलपुर में है तथा तीन उपक्षेत्रीय कार्यालय गुवहाटी, अमृतसर और कोच्ची में हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 (Z) के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्यक्षेत्रों कों अधिदेशित किया गया है जिसके तहत संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित असूचना एकत्र करना और परस्पर मिलान कर तत्काल राज्यों तथा अन्य प्रर्वतन एजंसियों की कारवाई हेतु प्रसार करना ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके यह एक केन्द्रीकृत वन्यजीव अपराध द्वारा बैंक स्थापित किया जा सके। अधिनियम के प्रावधानो को लागू करने से संबधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाईयों का समन्वय किया जा सकेय वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समान्वेत और सार्वभौम कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित विदेशी प्राधिकरणों एवं संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता की जा सके; अभियोजनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की जा सके; वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और वृत्तिक जाँच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण किया जा सके तथा वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की जा सके; और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशाखाओं वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मामलों एवं प्रासंगिक नीति और कानूनों के बारे में भारत सरकार की सलाह दी जा सके। इत्यादि कार्य शामिल हैं।

इस हैंडबुक पुस्तिका का संकलन ब्यूरो के अधिकारीयों द्वारा इस विषय पर अपने क्षेत्र अनुभव के आधार पर एवं कुछ पुलिस और वन अधिकारियों के साथ परामर्श करके किया गया है। तथापि, इस दस्तावेज के प्रयोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे फीडबैक, संबधित न्यायालय निर्णय, मामलों के अध्ययन, नवीनतम सूचनाएं और विषय से संबंधित कोई भी सूचना जो उनके पास हो सकती है, प्रदान करें, ताकि सभी वन्यजीव अपराध जाँच अधिकारियों के लाभ के लिए पुस्तिका का अद्यतन किया जा सके। फीडबैक और सूचना निम्न पते पर भेजें-

---

अपर निदेशक
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
दूसरा तल, त्रिकुट-1 बिल्डिंग
भिकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066

वेबसाईट : wccb.gov.in
ई-मेल : addldir-wccb@gov.in
दूरभाष : 91-11-26182484
फैक्स : 91-11-26160751